

3.00 P.M.

**THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2001**  
**(To amend Articles 75, 84, 99, 124, 148,**  
**164, 173, 188 AND 219)**

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

*The question was put and the motion was adopted.*

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) : Now, we continue with the discussion on the Payment of Unemployment Allowance Bill, 2000 moved by Shri Dipankar Mukherjee on 27<sup>th</sup> July, 2001. Mr. Das, to continue his speech.

**THE PAYMENT OF UNEMPLOYMENT ALLOWANCE BILL, 2000 - Contd.**

DR. M.N. DAS (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have forgotten as to how I began the other day. Now, coming to the Bill, I would say that this issue is a grave issue concerning unemployment. If you view this problem in a wider perspective of the socio-economic scenario of the country, you will find that by the end of the year 2001, our population would be 102 crores. Of this enormous population, about 30-40 crores are supposed to be, or really are, living below the poverty line. Again, a major portion of this population is known as the proletariat, I mean, the organised workforce. And, everybody knows the condition of the proletariat. They live hand to mouth. They are far from any kind of comfort, not to speak of luxuries. There is no medical care for them; they are not provided with drinking water; their condition is miserable, pitiable and within the knowledge of everyone. Again, Sir, let me tell pitiable and within the knowledge of everyone. Again, sir, let me tell you that the proletariat is now threatened with a grave danger, with the coming of MNCs.

Sir, what will happen? A substantial portion of the working force will be retrenched, they will be removed from the work, they will be thrown into starvation, because the new private liberalised or global companies will come with a single principle to earn maximum profit at the minimum cost. So, if a small industry or a medium industry is having 500 workers or 1000

workers, some of these workers will have to go, because these industries will try to cut down the costs. This is the fate of proletariats. But, Sir, below the proletariat, there is the unorganised labour force. And among them, we find the landless labourers in millions and crores. We find daily-wage earners, engaged on temporary basis. And they simply strive to survive. They are not living the lives of human beings, but are trying to survive. When I am speaking of these people, who strive to survive, I am reminded of a Poet, who said, 'we the dying who never die'. They are dying, but they never die. Still, below these people, is another class. Think of the destitutes, the beggars, the rag pickers, the desolates, the handicapped and so on and so forth. The society considers them as if they are not the citizens of our country, they are not the children of the motherland. They are accustomed to this severe condition, miserable condition, and we tolerate and watch helplessly.

But we are discussing today the problem of the registered unemployed, whose families run to crores. They come from different streams. Even hundreds of engineers or thousands of engineers from the engineering stream are unemployed. The graduates coming from the medical streams do not find a job. Thousands of students coming from educational streams, different professional streams also have no work. What are you going to do for them? So, when we come to consider the issue of educated unemployed, we have to think that they are fit for work, but they have no work. Sir, we have to think about them. Among the unemployed, we find two classes. One is the sons of the richer sections of the population. They do not care for a job, they do not care about employment. They can look after the industries or business or landed property of their fathers. They are not concerned with this increasing problem of unemployment. But, the problem is with those educated unemployed, who come from the lower middle class families. Their parents exhaust all their property, all their money on the studies of their sons, with the hope that as in the days of Macaulay or in post Macaulay time, some Government jobs somehow will be available to them. But these boys run from pillar to post and ultimately come out frustrated, dejected, depressed and demoralised. They have no work. I was talking with a sociologist about the problem of educated unemployed. He described it in a beautiful way. He said that this situation has led us to a vicious circle. The students are admitted to colleges and universities, but they are never serious in their studies. Because they know that there are no employment prospects. Sir, one thinks, 'what does a degree mean to me'? They somehow manage to

pass, obtain a degree, but the degree has become a passport to hunger. They tear down the degrees in the convocation hall or in the ceremony. How are you going to tackle this problem?

I would draw your attention to the year 1885 when the Indian National Congress was born. When the Indian National Congress was born, the British Secretary of State, at that time, was no less a person than Randolph Churchill, father of the celebrated Winston Churchill. He could not understand the meaning of this organisation. The then British Prime Minister did not even care to know what had happened in Bombay. But for three years the Viceroy went on to explain that there was nothing to worry about this organisation. This is an organisation of 'educated unemployed babus'. They carry no value, no meaning, no threat to the British." Then, in the next year, a very intelligent Englishman, Sir Auckland Colvin, sent a comprehensive report, pointing out: "These babus who gather annually in different cities of India are like the hood of a snake which contain no poisonous teeth. They simply come and gather, pass resolutions and go away. But this snake is lengthening its tail to interior and deeper areas of the entire sub-continent. These babus are educated unemployed and are carrying the real poison against the British by preaching discontentment, resentment against this Imperial Government. Take care of that."

No machinery of the imperial Government could have detected those educated, unemployed young men, spreading over the sub-continent to preach the message against the British, not necessarily they were all Congressmen, not necessarily they were Congress workers. In subsequent days, they were the real breakers of the British empire in India. But, today, we have come to a situation, where these unemployed educated youth have no goal like the freedom struggle to jump into the fray, to suffer, to go to jail, to become *shaheeds*, martyrs. But they are fighting for no noble cause. What may be the cause to fight for?

I was talking to a group of educated unemployed. I asked them, "What do you think of your future?" They told me, "Sir, we have only one future." I asked, "what is that future?" They told me, "Did not Mahatma Gandhi say that to a hungry man, God appears in the form of food. We are hungry. God will appear to us, not in the form of food, but in the form of anarchy. We want to become terrorists. We cannot tolerate this disparity. We cannot tolerate the corruption which is prevailing in the country. Few are accumulating millions and crores of rupees. Everywhere there is corruption, corruption, corruption. We cannot tolerate unnecessary expenditure. So, the

Government or the nation or the society is sitting on a volcano. Get ready for that volcanic eruption. We are middle class people, we are conscientious, we are educated, but we are unemployed. We have been driven away from our home because we have no jobs. We are not liked by anybody in the society. Should we accept crime or not? Should we starve and die? Instead of facing death, why not we do something else?" Sir, we have to take care of this kind of possible social threat to India. Let us cut down the huge and unnecessary expenditure of the Government. Let us scale down the pay of higher salary groups. Let us cut down the number of pensioners who are taking pension for nothing. After retirement from work or from administration, they still get a higher amount of pension. Is it fair? There is a saying, "A nation has to share its own National wealth." If a nation has to share its own wealth, then, it has also to share the poverty or adversity because we belong to the nation. So, this is the issue.

I would strongly support the Bill piloted by my friend, Shri Dipankar Mukherjee, and suggest that some provision should be made for allowance to the unemployed youth, till they are employed, as existing in the British system. Thank you.

SHRI JIBON ROY (West Bengal): I thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity.

I rise to support the Bill. I am supporting the Bill not in the hope that it will be passed in this House and will be implemented. For passing it, political wisdom is required, political will is required. Even if it is passed, I do not think that the system existing in our country will change drastically. Basically, it is not a question of spending some money. It is connected with the dignity of labour, recognition to the dignity of labour. That is the basic thing. The dignity to labour cannot come from a system which lives exploiting the labour, which leaves the labour out of the system. In that system, nobody can expect that that system will give dignity to, recognise the dignity of, the labour.

In the deliberations on the last occasion, a question came about money. Why don't you pay one rupee? I would demand that. Yes, give one rupee. You recognise the right to work as a fundamental right. The moment you give one rupee to the unemployed people, that means you recognise the right to work as a fundamental right. It is liable to be given tomorrow or during this generation or the next generation or 100 years after. Unemployment needs that recognition. But the Government has withdrawn

that recognition which we had, by accepting the market. So far, during all the elections, till the last election, people were asking, "Look, you are an MLA from our area; you are an MP from our area. Nothing has been done for employment here in your area." But you have taken that right away. Now, the matter of employment is a matter of the market. The market will decide. The elected representatives, Government, political parties and the parties in power, have no responsibility to give employment! The market will give employment. It is a \*. It is a great \* that has taken place in our country, without informing the people, without informing the country that you have withdrawn from your commitment the right to work. The system does not even have the vision. For the last ten years, reforms are being introduced. They are working. Basically, reforms involve labour. You have instituted a Commission on Labour. Since the last six years, everything on the earth is discussed in the House, except labour, the effect of the reforms and globalisation on labour. It has not been discussed even for two hours! It is because the character of the House is not pro-labour. A system which is not pro-labour cannot pass this Bill and give the right to work as a fundamental right. There should be the basic acceptance. Therefore, I am not standing with the assumption or the hope that today or tomorrow, it will be accepted.

But another question is directly involved with this question. Work is the mother of all creativity. That is a fundamental philosophy accepted by the world. When we raise the question of job, when we say, "give job", do you think it is a matter of money, it is just a matter of getting some money? Work is the mother of creativity. Humanism started to grow, humanism started to flourish, the day a monkey converted into a man by using the hands. Work, or using of hands, is the mother of all creativity. If you don't give the people the right to work, if you do not create a situation to work, you are killing all instincts, the creative strength of the mind. I am worried about this. You have accepted that our world is to be globalized. We will compete with America, we will compete with the Western countries. If you do not advance, if you do not expand the creative strength of mind, if you do not make the mind scientific, I do not think that you will be able to compete with them. It is a fundamental thing. Why are women backward? I sometimes talk to my colleagues that it is good that they are fighting for the women's right. One-third of seats in the Parliament should be given to them. But so long as you do not give the right to work, so long as you

---

\* Expunged as ordered by the Chair.

keep women confined to kitchen, creativity will not advance. She will not be able to compete with men, and finally, even if you offer one-third of the seats to women, that thing will not flourish. The fundamental thing is that you must provide right to work to them in the factories and various other places. This advances the creativity, this advances the consciousness, this advances the social mindset. Here also, you have got limitations. Nowhere in the world, the developing country can expand the horizon of education and learning and also expand the creative strength of the people unlimitedly. It was brought through education in Europe, in America. Even in India, during the British period, it was expanded to the extent to which it suited the exploiter. Beyond that, no exploiter in the world wanted to see that all the people in the country should be educated, should have creative mind and all that. It is not a small thing. It is linked with mental health. It finally speaks about the mindset, political wisdom, class position and the strength of the Government to provide right to work. The unemployment allowance comes through the right to work. You cannot carry out land reforms because, most of the people of your party, are landlords, who give money to your party. Therefore, you won't be able to do the land reforms. You cannot give right to work to the people. You cannot accept the concept of unemployment allowance to the people. But, at the same time, if land reforms are not carried out, you will fail in the process of reform. You will collapse. No Government will be able to do it. Therefore, the thing is that it has a philosophical connotation. It has something connected with vision. The Government should cultivate this thing. In the end, today or tomorrow, you will have to think over this subject. Otherwise, the whole system will collapse. Thank you.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity. At the outset, I would like to say that I support the Payment of Unemployment Allowance Bill, 2000, moved by Shri Dipankar Mukherjee. But I am not very much encouraged, because I know that, whatever we discuss on the floor of the House, will not be...  
*...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Just one second, Mr. Khuntia. Mr. Jibon Roy used one word \* which is unparliamentary. It should be deleted from the record. Please continue, Mr. Khuntia.

---

\* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: When we make speeches, we know that there is a Government who does not want to pay sufficient wages to the workers, who does not want the workers who are in service, to continue their service, who does not want the workers who are working now, to get their provident fund dues, the ESI benefits, the social security and the right to OTA, i.e., what they should have got after their retirement. The Government is at fault to dislodge almost a majority of the organised working class in the country. Can we expect from the Government that the Government will listen to us for giving unemployment allowance to the unemployed youths in the country? Let me clarify steadfast as to who are unemployed. Unemployed are those who have not got employment, those who are now becoming unemployed after getting retirement under the VRS, or after compulsory retirement and retrenchment, and also those who will lose their jobs because of the decision of the Government about downsizing the work-force, and so on. I will refer to the statement made by the hon. Minister. The day before yesterday, to a question, the hon. Minister had replied, "There are around 40 crores of workers, i.e. a work-force of 400 millions, in the country." While we are talking about unemployment, who are unemployed? When the population is 102 crores, the work-force is 400 million. That means others are unemployed automatically. In that sense, they may be our fathers, mothers, the old persons and children, who are not able to work. That means, 62 crores of people in our country are not able to work, or, maybe, those who are industrialists, rich persons, and who do not require to work, their number is 62 crores, and 40 crores of people are those who are eligible to work. Only 8 per cent of the work-force is working in the organised sector. In other words, 92 per cent of the workers, as is given by the hon. Minister, are working in the unorganised sector. Who are they? They are agricultural workers, rickshaw pullers, building construction workers, maybe, teachers or other types of workers, headload workers, those who do not get even a hundred days of work throughout the year. They are having a family. They must be our old parents, brothers and sisters. They are not getting more than a hundred days of work.

Sir, I want to draw your attention to the reply given by the hon. Minister to a question raised the day before yesterday: "In order to create employment opportunities in the country, the Government has started programmes like the Indira Awas Yojana, the Jawahar Rozgar Yojana, Shram Samridhi Yojana, etc. There are many Yojanas. I could not get an opportunity to put a question to the Minister. I now put a question to the

hon. Minister: Will the hon. Minister be kind enough to tell us the minimum working mandays require for these 32 crores of workers who are eligible to work but are not getting work? Has the Government made an estimate at any point of time? What are the total mandays created by all the poverty alleviation programmes initiated or started by the Central Government?

I would like to know whether the Government has started these programmes after taking into account the statistics of man-days, the work available to the eligible workers in the unorganised sector. While starting these programmes, did the Government review as to how many days' work that a worker is getting in a year? I don't know whether the Government has got the statistics. According to me, the Government doesn't have any statistics and any information. There is no monitoring and no evaluation. I had put a question to the hon. Minister yesterday about the sector that is losing jobs because of the introduction of modern technology. Which is that sector? The sector is the construction industry about which we talked yesterday. More than 45% of the total Budget outlay is being spent on construction work. It may be relating to your Department; it may be relating to the Education Department; it may be relating to the Defence Department. What is happening there? In the construction industry, whether it is a bridge construction or a road construction or something else, thousands of workers used to work. Who were they? They were unorganised workers, illiterate labourers. Nowadays, when a bridge is constructed or a national highway is constructed or a road is constructed, there are only 100 people working. They are skilled labourers. I would like to know whether the Government is aware as to who are those workers who have lost their jobs and what is the total number of those workers. They are all Scheduled Castes and Scheduled Tribes, unorganised illiterate workers. What is the total number? I am sorry to inform the House that the hon. Minister had informed that the Government did not have the figures regarding the total number of workers who are working all over the country. The Government doesn't have the statistics of how many workers have lost their job on account of the introduction of modern technology, whether it is agriculture or whether it is construction industry. It is not very difficult to find out. Every State has a Labour Department. The Central Government has a Labour Department. But they don't have the statistics. They don't want to take the responsibility. That means they don't want to take care of the 32 crores of workers, who are able to work, who are unemployed and underemployed. Why is it so? The country is having, as per the report of one of the Government agencies, 17 million child labourers. Some



Government agencies say there are 32 million child labourers. Some NGOs say there are 50 million child labourers in this country. It is true that, because of poverty and various other reasons, there are child labourers. The Government has failed to eliminate child labour. It is also one of the reasons for unemployment. If 50 million children are working, what is the reason for that? Why does an employer employ a child labourer? An employer employs a child labourer to get more work by paying lesser wages. In the place of an adult worker, an employer employs three child labourers. If this 50 million child labourers are taken away--I don't say that they should be taken away immediately without making any other alternative arrangement--maybe, 15 or 20 million adults would get employment. It is a very simple thing. But it is not being considered. The Government is also not very serious about it. The Government has no specific programme, though they are telling us, "We have a policy; we have a programme, etc.". Paying unemployment allowance, in my opinion, will put more pressure on the Government. We are giving allowances to old-age people, artists and various other categories of people at the fag end of their life. It is good. The question is whether we should leave those who are able to work, who are young, who are the future of the country, without giving them any employment. In other words, we are causing frustration among them and it will lead to law and order problems in the country.

I would like to draw your attention to the problems faced by the people specially unemployed youth in Jammu and Kashmir and in the North Eastern Region. We have been talking about these problems in this House for so many hours and so many days. There is the problem of unemployment in the country. Why don't the Government think about it? As my colleague just now said, many of the people are feeling alienated in Jammu and Kashmir and the North Eastern Region. In order to bring them to the mainstream, these youth should be recruited and deployed in all parts of the country. In this way we can involve them in the process of nation building and they will also feel happy. Actually there are no more industries in Jammu and Kashmir and in the North-Eastern Region. That is why there is no investment and no employment. If there is investment, there will be more employment opportunities and the youth would get employment. This is one way of resolving this issue. I would like to draw the attention of the Government to the unemployment problem. It is a very important issue, as stated by Shri M.N. Das. When the boys and girls go to schools and colleges, naturally the parents expect that after they complete their education they would take care of them. I am not saying that all the boys

and girls can be employed immediately. Actually the problem is, we have not motivated them. We are not giving them proper education. They are not being taught about self-employment. That is why they are not doing anything. On the other ^hand, the Government is not creating any employment opportunities. In this situation, there is no other alternative for the Government but to accept the proposal of giving some sort of unemployment allowance to the unemployed people like it is given in other countries like Australia, USA, Hong Kong, New Zealand, etc. The Government should also start such a scheme. The Government should give unemployment allowance to the unemployed youth. Sir, do you think the educated unemployed youth do not talk about us? They also talk about us. They feel that when the Government can lose crores of rupees in the UTI scam, in the Stock Exchange scam, in the Telecom scam and many other such scams, why can't the Government provide a few thousand crores for giving unemployment allowance to the unemployed youth? These things are coming in their minds. The Government should think over it; otherwise, a time will come when these educated youth who are unemployed, who have nothing to do, would revolt against the Government and nobody would be able to check it. It is high time the Government thought over it.

Sir, there is a debate going on not only in different States but also in some other countries about giving unemployment allowance to the unemployed youth. I do not know as to how much money exactly would be required. I would like to know whether the Government has got the information or not. Until and unless the Government takes care of the eligible workforce in the country and gives employment to the eligible workforce, it will be very difficult to manage the human resources in our country.

Poverty in the country is mainly due to the fact that we are not able to fully utilise the human resource and the workforce which is available in the country. We find in our country that only one person in a family has work and all other family members do not have any job. We live in a country where human resource is available, but we are not able to utilise it. We see that most of the people of our country do not have any work. In this kind of a situation which is prevailing in the country, I would like to once again thank Shri Dipanker Mukherjee for having brought in this very important Bill in this House and, I am sure, the hon. Labour Minister, who is present here, will realise the situation, respect the wishes of the Members of the House and bring in an official Bill for giving unemployment allowance to

all the educated unemployed youth in the country, and I hope that he would also create jobs by which we will be able to utilise the total human resources available in the country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU) in the Chair.]

Sir, in order to eliminate child labour as well, more employment opportunities should be created to the unemployed persons in our country, and the children should be encouraged to go to schools instead of going in for jobs. With these words, I once again request the hon. Minister to accept the proposal and bring in an official Bill providing for unemployment allowances to the educated unemployed youths of this country.

SHRI P. PRABHAKAR REDDY (Andhra Pradesh) : Sir, I am supporting this Bill and I congratulate the hon. Member, Shri Dipankar Mukherjee, for bringing in this Bill. A number of Members, who have spoken on this, have described unemployment as a core issue and I fully agree with them. And it is a great challenge that the nation is facing today. The number of unemployed persons is on the increase. The assumption is that about 12 crores of people, including those in the rural areas, are unemployed in our country. I strongly suspect that this figure is not correct. In my opinion, the number must be more than 12 crores because our data collecting system is full of defects and we cannot trust it at all.

My view is that before we go to solve any problem, first of all, we have to identify the magnitude of the problem. Only then must we think of finding a solution to it. Just like when we go with any problem to the doctor, he first diagnoses the problem and then gives the prescription. Similarly, we have to first find out what the problem is, what the total number of unemployed persons in the country is, including those in the rural areas, and then think of measures to solve the problem. This is a very serious issue. The unemployment issue should not be seen as a problem of one individual or a few individuals. This is the problem of the nation as a whole. Why I am saying this is that there is a lot of frustration amongst the educated unemployed youth; they are drifting away from the mainstream and they are taking to anti-social activities like drug trafficking, smuggling, gang wars and so on. We must take up this problem on a war footing and then try to set right the things at the earliest before things go out of hand.

Sir, it has been suggested in the Bill that an unemployment allowance should be given. No doubt, the object is laudable.

When I calculated it, the amount that comes per person per month is a paltry sum of Rs. 150. This is not going to solve the problem. This is only an *ad hoc* measure. A permanent solution has to be found. This is what I strongly feel because I must also tell the demerits of the Bill. In the United Kingdom, such a thing as unemployment allowance is already there. But the problem that is being faced in that country is that many people feel that it is much better to have the unemployment allowance than to work. Though there are opportunities of work, still, people sit at home and enjoy the unemployment allowance. Therefore, instead of these *ad hoc* measures, we should think of some permanent solution. This is my suggestion.

In this context, I want to say another thing. There is a misconception. This misconception is very widespread. People feel that the Government is the employer and that the Government alone can solve the problem of unemployment. Sir, the Government is for governing the people, providing infrastructure, providing social infrastructure and protecting people and giving them a corruption-free administration. Sir, there will be employment generated through these activities but that is only incidental. But the Government should never arrogate to itself the role of the principal employer. That is my strong feeling. What then should the Government do? The Government should create an environment for giving employment. It must encourage private entrepreneurs. It must encourage more and more industries. Through that, it can generate more employment. Here, I would like to give you an example. What is happening in the United States? Recently, I read an article. The employment rate in the United States of America is something like 98%. Even then, they have a policy whereby if an outside investor, other than an American, comes to USA and invests and creates jobs for ten people, he is given a Green Card. That is the incentive that the United States is giving, even though they have 98% employment. We all know how valuable a Green Card is. It is much more than giving three acres of land in a prime area of Delhi. So, they are giving this incentive. We should also encourage private enterprise.

In our country, we have 12 crores of unemployed. We should be doing much more than what the developed countries are doing. But, unfortunately, our industrialists, our entrepreneurs are crying that leave alone the incentives, the Government should not put spokes and hurdles in their way. They say, "We want to run industries. But, everywhere, we are finding ourselves in chains". That is what the industrialists are complaining. This attitude should go. Then only can we expect the creation of employment opportunities.

Another important aspect in this respect is that the Government is a big spender. Through Government spending, lot of activities can take place. A number of economists and experienced people are cautioning the Government that in order to cut down the deficit, it should not cut down its spending on infrastructure, social infrastructure, Plan expenditure and the expenditure that goes to create assets. Even if you have to borrow money and then incur expenditure, it is still worthwhile. This is the caution that the people are giving. Therefore, I urge upon the Government not to cut down expenditure on essential things. They should cut down the unnecessary expenditure, but not the expenditure that creates assets, that creates more employment. I will not take more time of the House. I will only touch upon one or two more points.

The Government should also concentrate on rural employment because a vast majority of our people are in the rural areas. There is migration because all the activities are centred around the cities. The infrastructure is around the cities. The schools, the colleges and everything is located around the cities. So, there is a tendency on the part of the people to move from rural areas to urban areas. This is putting a lot of pressure on urban infrastructure, like water, electricity, etc. It should not happen.

The other thing about which I would like to say is, self-employment. In Andhra Pradesh, we are encouraging self-help groups in a big way. There are DWAKRA groups which have more than 30 lakh to 40 lakh women as its members. They have collected and deposited about Rs.600 crores; and they are doing a very good job. This is a model for the other States. Through this also, to some extent, the problem of unemployment can be solved.

My last point is, credit must be made available to the unemployed youths. The banks should not be obsessed with hundred percent safety of their lending. After all, in no activity, hundred percent guarantee will be there; even in the case of lending to the big industries; hundred percent guarantee is not there. Now, the banks have non-performing assets to the tune of Rs.70,000 crores. If, on that ground, they stop lending to the private entrepreneurs, then the economic activity will come to a grinding halt. They should have the same attitude towards the unemployed youths also. They should not feel shy of lending money to them. This will go a long way in helping these people. Sir, with these words, I wholeheartedly support the Bill.

**श्रीमती सरला माहेश्वरी** (पश्चिमी बंगाल) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय।

दीपांकर मुखर्जी, बेरोजगारी भत्ता का संदाय जैसा एक महत्वपूर्ण विधेयक हमारे सामने लेकर आए हैं, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ। इस विधेयक के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक पहलू जहां बेरोजगार की समग्र समस्या से संबंधित है, वहीं इस विधेयक का दूसरा पहलू मानवीय पहलू है, मुनष्य के जिंदा रहने के अधिकार से जुड़ा हुआ पहलू है। जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है, यह अपने आप में कोई अलग-थलग घटनाचक्र नहीं है। यह हमारे समाज में या दुनिया में कोई ऊपर से अचानक टपक गयी चीज नहीं है। इसका सीधा संबंध सारी दुनिया और हमारे समाज में आर्थिक स्थिति से है। मूलतः उन आर्थिक संबंधों से है जो आर्थिक संबंध किसी भी समाज के चरित्र का निर्धारण करते हैं। उपसभाध्यक्ष जी, मैं समझती हूँ कि आज इस बात को प्रमाणित करने की कोई जरूरत नहीं है कि जहां भी पूंजीवाद होगा, जहां भी दुनिया के साधनों पर व्यक्तिगत मिल्कियत होगी, जहां भी उत्पादन का एक प्रमुख लक्ष्य सिर्फ पूंजीपति के मुनाफे की लिप्सा को पूरा करना होगा, वहां यह तयशुदा बात है कि वहां पर बेरोजगारों की एक लम्बी आरक्षित सेना होगी ताकि पूंजीपति इस आरक्षित सेना का इस्तेमाल करके अपने मुनाफे के पहाड़ को खड़ा कर सके। अर्थव्यवस्था के इस बुनियादी तथ्य को भी मैं समझती हूँ कि सम्पत्ति का निर्माण तभी होता है जब कच्चे माल में श्रम ही वह वस्तु है जिससे मूल्य को कम करने की इसी कोशिश में वह लगातार रहता है कि किस तरह दुनिया के साधनों में नित नया परिवर्तन कर सके यानी श्रम के मूल्य को कम करने के लिए पूंजीपति हमेशा उत्पाद के साधनों में परिवर्तन करने, उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन करने की ओर बढ़ता रहता है। माल के उत्पादन में श्रम के मूल्य को कम करते चले जाने की यह पूंजीवाद की विवशता है और यही वह विवशता है जो बेरोजगारों की व्यापक फौज को तैयार करती है। माल के उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि दूसरी ओर बाजार में मांग की कमी, आम लोगों में क्रयशक्ति की कमी, यही वह चीज है जो पूंजीवाद को अपने बाजार के विस्तार के लिए विवश करती है और उसके बाजार के विस्तार की यही विवशता हम देखते हैं कि उसे किस तरह उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के चरण तक इसको ले जाती है। उपसभाध्यक्ष जी, पूंजीवाद के सामने यह वह स्थायी संकट है जो हर समय उसके सामने मौजूद रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस स्थायी संकट के साथ-साथ उसके सामने संकट के कुछ ऐसे उबाल भी आते हैं जब वह देखता है कि रास्ता अवरुद्ध है, उसे अपने विकास का रास्ता आगे दिखाई नहीं देता और इस संकट का समाधान करने के लिए वह जो रास्ता अपनाता है उसकी सब से बड़ी मार हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के तमाम मेहनतकशों पर भी पड़ती है। यही पूंजीवाद का नियम है। पूंजीवाद का हर चक्रक संकट, हर साइकलिक क्राइसेस मेहनतकशों पर एक करारी मार के रूप में पड़ता है। उपसभाध्यक्ष जी, बाजार की मंदी और माल की खपत न हो पाने की समस्या से निपटने के लिए आश्चर्यजनक रूप से मजदूरों की छंटाई का रास्ता अपनाया जाता है ताकि उत्पादन की लागत में कमी की जा सके और पूंजीपतियों के मुनाफे को सुरक्षित रखा जा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक धरती पर पूंजीवाद रहेगा या जब तक धरती पर यह पूंजीवाद की जोंक कायम रहेगी, जब तक उत्पादन का एकमात्र लक्ष्य मुनाफा होगा, जब तक मजदूरी की गुलामी की व्यवस्था मौजूद होगी, तब तक बेरोजगारी की समस्या को

**4.00 P.M.**

दूर करने का सुपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। यह एख दिवास्वप्न री रहेगा। महोदय, इसके साथ ही मेरा कहने का अर्थ यह भी है कि बेरोजगारी कि समस्या पर कोई भी विचार अगर हम करना चाहें तो हमें उसे समग्र आर्थिक स्थितियों के विचार के संदर्भ में ही समझना होगा। आज जब हम इस सदन में इस विषय पर विचार कर रहे हैं तब सारी दुनिया कि ओर ...**(समय की घंटी)**... थोड़ा सा समय और चाहूंगी, उपसभाध्यक्ष जी देश की अर्थ व्यवस्था कि हालत यह है कि चारों ओर स्लो डाउन स्लो डाउन कि गुहार लगी हुई है। आम तौर पर हम अखबारों में यह देखते हैं विशेषकर हमारे आर्थिक अखबारों कि खबरें तो इसी तरह कि खबरों से भरी रहती हैं की साहब अमुक कंपनी ने इतने लोगों कि छंटाई कर दी अमुक अमरिकी कंपनी ने इतने हजार लोगों को निकाल दिया। मैं समझती हूँ कि यही खबरें आज मुख्य खबरों के रूप में हमारे सामने आती हैं। चंद महीनों पहले जिस अमेरिका कि ओर सूचना तकनीकी के क्षेत्र में हमारे प्रशिक्षित नौजवान चींटियों की तरह कतार बांध कर जा रहे थे आज हम देखते हैं कि वह क्रम उलट गया है। आज वहां से हमें वे नौजवान लौटने हुए ही दिखायी देते हैं। महोदय, अन्य परंपरागत उद्योगों की बात तो हम छोड़ ही दें, सूचना तकनीक के जिस उद्योग को हम भारत का भविष्य बता रहे थे और हम यह देख रहे थे कि विश्व अर्थ नीति में सूचना तकनीक के रूप में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, आज उसी उद्योग कि हालत यह है कि दिन-प्रति दिन वहां पर भी हमें मंदी के आसारे नजर आ रहे हैं वहां भी प्रशिक्षित नौजवानों को नौकरी से नाकाला जा रहा है हालत यह है कि जो कंपनी जितने अधिक लोगों कि छंटाई कर अपने वेतन खर्च में कटौती करती है उसी कि शेयर बाजार में गिनती आती है मेरा गिनती आती है मेरा कहने का मतलब यह की यह इकोनोमिक स्लो डाउन का जो स्लोगन चल रहा है इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सादा अर्थ यह है कि हमारे देश के और दुनिया भर में जो पढ़े-लिखे प्रशिक्षित नौजवान हैं उनकी नौकरी पर ही संकट आ रहा है। आर्थिक संकट का सारा बोझ हमारे इन्हीं श्रमजीवियों पर सब से ज्यादा पड़ रहा है।

उपसभाध्यक्ष जी, कुछ समय पहले मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक अध्ययन द्वारा तैयार कि गई एक रिपोर्ट "वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक" को पढ़ रही थी। यह रिपोर्ट हर दो साल बाद निकालती है। पिछले साल यह रिपोर्ट आई है। विश्व अर्थ व्यवस्था के तमाम तथ्यों का विश्लेषण करते हुए इस रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि साल पर पहले विश्व अर्थ व्यवस्था जितनी खस्ता नजर आती थी आज उस तरह कि स्थिति नहीं है आज वे अनिश्चय के बादल छंट गए हैं तथा इस बात का जो खतरा लग रहा था कि विश्व अर्थ व्यवस्था पर एक भारी मंदी की गांज गिरने वाली है अब वह सारा खतरा अनिश्चितता और आशंका समाप्त हो गई है। इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि विश्व अर्थ व्यवस्था को उसके खस्ता हालत से उबारने में अमरीकी अर्थ व्यवस्था की मजबूती ने बहुत बड़ा योगदान दिया मैं उसी रिपोर्ट के कुछ उदाहरण देना चाहूंगी।

"The strength of the U.S. economy has played a major role with subdued inflation allowing the Federal Reserve to maintain and accommodating monetary stance that has supported the exceptionally buoyant growth of the domestic demand and promoted easy financial condition worldwide."

उपसभाध्यक्ष जी, इसी प्रकार इस में यूरोप के देशों और जापान की वित्तीय तथा मुद्रा नीतियों और एशिया के कई देशों में गहरे समायोजन तथा सुधार की नीतियों के भी तारीफ कि गई है लेकिन साल भर बीतते न बीतते सारी खुशफहमिया गुम हो गयीं और सच्चाई खुलकर सामने आ गयी कि जिस अमरिकी अर्थ-व्यवस्था कि मजबूती के बारे में इतनी आशाएं दिखाई जा रही थीं आज उस अमरिकी अर्थ-व्यवस्था कि हालत क्या है वह सब जानते हैं। आज यह सच है की सभी आर्थिक विश्लेषकों और टिप्पणीकारों के दिमाग में सन् 30 का वह ग्रेट डिप्रेशन दिखाई दे रहा है क्या हम उसी स्थिति से गुजर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, जहां तक हमारे देश का सवाल है हम तो वैसा ही आर्थिक गतिरोध के ऐसे दुस्चक्र में फंस गए हैं, लगता है कि शायद निकलने की कोई राह नहीं है। एक अंधी सुरंग के अंदर जैसे फंस गए हैं। उपसभाध्यक्ष जी आजादी के बाद के दौर में जो सरकार सब से बड़े रोजगार दाता के रूप में सामने आई थी और साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमारे देश की अर्थ नीति को मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए जिस सार्वजनिक क्षेत्र के हमने मजबूती प्रदान कि जिसे हमने अपने स्वभिमान के रूप में समझा जिन सार्वजनिक उद्योगों ने नेतृत्वकारी भूमिका अदा की आज हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार ठीक उसके उलट बहु-राष्ट्रीय कंपनियों तथा भारतीय इजारेदारों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए खुद को वैश्वीकृत अर्थ-व्यवस्था से जोड़ने पर तुली हुई है और आज सरकार रोजगार पैदा करने वाली नहीं बल्कि सब से बड़ी बरोजगारा पैगा करने वाली एख व्यवस्था बन गयी है। उपसभाध्यक्ष जी, निजी क्षेत्र की तो रोजगार पैदा करने में कभी कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं थी हालांकि मेरे से पूर्व वक्ता इस बात को दोहरा रहे थे। मैं यह कहना चाहूंगा कि संगठित क्षेत्र के उद्योगों पर सब से ज्यादा हमले हो रहे हैं। ठेका प्रणाली आज सरकार के लिए सब से बड़ा खतरा बन गयी है और कुशल, अकुशल सभी तरह के मजदूरों को असंगठित मजदूरों की भीड़ में धकेला जा रहा है। खुद हमारे श्रम मंत्री स्वीकार किया है कि 92 फीसदी लोग असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा संकट है कि एक औद्योगिक विकास पूरी तरह ठप्प हो गया है वहीं केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सी.एस.ओ. द्वारा उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर के बारे में दिए गए ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर सिर्फ 2.6 फीसदी रही जबकि पीछले वर्ष इसी काल में यह वृद्धि दर 6.2 फीसदी थी। उपसभाध्यक्ष जी, सब से अधिक बुरा असर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में पड़ा है। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में मैन्युफैक्चरिंग को क्षेत्र का योगदान लगभग 80 फीसदी है, लेकिन इस क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों में सिर्फ 2.5 फीसदी की दर से वृद्धि हुई है। वर्ष 1999-2000 में यह दर 7.1 फीसदी थी, सन 2000 में यह घटकर 5.3 फीसदी हो गयी और अब चालू वर्ष के पहले दो महीनों में सिर्फ 2.5 फीसदी है। इस से यह साफ है कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र में भारी मंदी छाई हुई है और औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से गतिरोध का शिकार है। सभी विशेषज्ञों का कहना है कि इस गतिरोध को दूर करने का एकमात्र तरीका सरकारी नियोजन में वृद्धि ही हो सकता है, लेकिन हमारी सरकार इस के उलट चल रही है। वह चाहती है कि किसी तरह ज्यादा-से-ज्यादा विनियोजन किया जाए। बेचारे श्रम मंत्री मुंह लटकाए बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं कि किस तरह एक-के-बाद एक उद्योगों में ताला लगा या जा रहा है और मंत्री जी सोचते रहते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उपसभाध्यक्ष जी, इसी साल के बजट को देखने से पता चलता है कि यह सरकार वित्तीय प्रबंधन के नाम पर, अपने वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखने के नाम पर सब से अधिक कटौती संपत्तियों के विनिर्माण और विकास के कार्यों को रोकने में कर रही है।



**उपसभाध्यक्ष (श्री निलोत्पल बसु) :** सरला जी अब आप समाप्त कीजिए, काफी सारे वक्ता हैं।

**श्रीमती सरला माहेश्वरी :** बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं एक दो मिनट में समाप्त कर रही हूँ। उपसभाध्यक्ष जी सन् 2000-2001 के संशोधित अनुमान के अनुसार इन मदों में खर्च को कम कर के तथा विकास के कार्यों पर खर्च में कटौती कर के 77,377 करोड़ रुपए गए और इसी साल के बजट में 78821 करोड़ रुपए बचाने का अनुमान किया गया है। विकास की मदों पर खर्च को कम कर के वित्तीय प्रबंधन के इस अनुष्ठे रास्ते ने हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था को मंदी और गतिरोध के एक ऐसे गर्त में डाल दिया है जिस से उबरना हमारे लिए असंभव लगता है। इसी वजह से औद्योगिक विकास तो अवरुद्ध हुआ ही है। हमारे कर राजस्व संग्रह में भी भारी कमी आई है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ही संसार की तीन प्रमुख साख-निर्धारण संस्थओं - स्टेडर्ड एंड पुअर फिट्स तथा मुडी सभी ने भारत की साख को नकारात्मक श्रेणी में डाल दिया है। जाहिर है कि इससे भारत में विदेशी पुंजी निवेश की सभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक गतिरोध की स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी।

उपसभाध्यक्ष जी, ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगी कि सरकार मनुष्य के मूलभूत अधिकार जिंदा रहने का अधिकार और मनुष्य होने के नाते काम करने का जो उसका अधिकार है, वह मूलभूत अधिकार है और हमारी सरकार मनुष्य के इसी काम के मूलभूत अधिकार को देने से उसे वंचित कर रही है यानी उसे उसकी मनुष्यता से वंचित कर रही है। ख्रम की संस्कृति ही वह जो मनुष्य और जानवर के बीच में भेद पैदा करती है। आप उसे श्रम की संस्कृति से रोकने वाले कौन होते हैं ? इसीलिए, उपसभाध्यक्ष जी मैं यह कहना चाहती हूँ कि आज साही दुनिया में साबित हो चुका है, इसमें कहीं कोई संदेश नहीं है कि आपकी वैश्वीकरण की नीतियों ने आपकी उदारीकरण की नीतियों ने और आपकी निजीकरण की नीतियों ने रोजगार पैदा नहीं किया है बल्कि रोजगारहीन विकार की जो अवधारण पूरी दुनिया में देखी जा रही है, उसी को साबित किया है। तो मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या आप दुनिया के अनुभवों को देखते हुए, हमारे देश के अनुभवों को देखते हुए उन नीतियों सुधारेंगे या फिर उसी आई.एम.एफ., वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यू.टी.ओ. की त्रिमूर्ति के इशारे पर दुसरे चरण की ओर भागते जाएंगे और लोगों की जिंदगी को साथ खिलावड़ करते रहेंगे ? आपकी तमाम नीतियां वहीं है, आप हमारे कृषि के क्षेत्र को उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खुला छोड़ रहे हैं और सारी दुनिया में यह देखा जा रहा है कि इन नीतियों के चलते गरीबी बढ़ रही है और इन नीतियों को तो गरीबीकरण की नीतियां कहा जा रहा है और विशेषकर महिलाओं के संबंध में, महिलाओं की गरीबीकरण की नीतियों के रूप में देखा जा रहा है। तो मैं यह जानना चाहूंगी कि कौन सी नीतियां आप लेकर चल रहे हैं ? आज कृषि की हालत क्या है ? ऐसी स्थिति में मेरा यह निवेदन है कि सरकार इन नीतियों को बदले और जो यह बेरोजगारी की समस्या है, इससे हम तभी निबट सकते हैं जब आप इन नीतियों का रुख बदलेंगे और बेरोजगारी भत्ता देने का जे प्रश्न है, इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

उपसभाध्यक्ष जी मुझे याद आता है कि एक जमाना था जब कि कभी बादशाहों ने अपनी अय्यारी के चलते अंगूठे काट दिए थे। उस समय कहा गया था कि कभी काटे थे अंगूठे

[10 August, 2001]

RAJYA SABHA

तेरि अय्यारी ने , आज बाजू भी कलम कर दिए बेकारी ने । उपसभाध्यक्ष जी, हमारे श्रम मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि हमारे बाजू काटकर हमारी नौजवान पीढ़ी को अंधेरे में मत डालिए कोई भी सरकार कोई भी समाज यदि नौजवानों को सतत् उन्नतिशील पेशा नहीं दे सकता, भविष्य के हाथ उसकी कब्र खोदने के लिए तैयार हैं तो मैं समझती हूँ कि श्रम मंत्री जी भविष्य की इस चेतावनी को समझेंगे और यह जो विधेयक लाया गया है, इस विधेयक की महत्ता को समझते हुए इस पर विचार करेंगे और पारित करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI FALI S. NARIMAN (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, at five minutes past four, on a Friday evening, we are witness to an exhausted House, having an unprecedented exhausting week, full of problems, full of debates and, possibly, with not too many solutions. This Bill, Sir, I believe, is more important in its significance than its contents. And, it is also well timed when we are told that this is now a time of economic slowdown, in the world as well as in India, it is time again to look at article 41 of our Constitution. It is a very well -phrased Constitution; that is why I am always against any tinkering with it; it is very beautifully phrased and very beautifully put. I would like the Minister to kindly consider what it says. It reads 'the State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work...' — I am not reading the rest of it. 'Effective provision', not any provision for securing the right to work. This is not enforceable by any court because this is really a part of the Directive Principles of State Policy, and expressly said so in article 37. This is again a very important article; it says '...it is fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.'

Now, Sir, you may not make any law with regard to the right to work. But, you can still secure and make effective provision for right to work. I recall many, many years ago -- I do not know how many Members of this House will recall -- that Mr. Hanumanthaiah, who was a Railway Minister, and before that when he was also associating himself with some Ministry in Karnataka, when he built that enormous Secretariat -- anybody who had been to Bangalore would have witnessed it -- people said that this is "Hanumathaiah's foHy" because he had spent Rs. 1 crore. Today, the edifice thing would cost, at least, Rs. 20 crores. And people are very happy that the Secretariat had been built. He had the sense to say, at one point of time -- and it was in a public statement - as a Railway Minister of the Government of India, that the way to provide employment to a large number of people in this country and, at the same time, benefit the economy of this country, would be to convert all the small and meter-gauge tracks in our

country into broad-gauge tracks. He expressly made out a plan. That plan would have taken ten years to fulfil; it would have employed one-and-a-half to two million people, almost on a continuous basis. Now, just see that conception. We are not, now, talking of the same thing. We still have that possibility. But, I would request the hon. Minister -- because Mr. Mukherjee's Bill has given me this opportunity -- to have some concrete proposals and schemes for an effective provision for securing the right to work. In fact, Sir, if the NDA Government wish to stay in power for a longer period of time, I would suggest that this is your vote bank. Article 41 is your vote bank. I do not know why you are not concentrating on Article 41. It is all very well to talk about the summits and things of that sort. They are all for the more sophisticated people; you may make very good talk and very good debate on that. But just see what it provides here : the right to work, the right to education, to give public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, and disablement. Here, you have the raw material for your being in power perpetually. If you do something good, whoever does it, whether on this side of the House or that side of the House, it will benefit the people. But unless you bear in mind this basic principle of governance, which is enshrined in our Constitution and about which nobody has bothered for all these years or very little has been bothered about, you will not be able to solve this problem. When I mean the Centre, I also include the States because they have an equal responsibility on this account.

And, I would respectfully submit that it will serve a further purpose that if you make effective the securing of right to work, you will also encourage the work ethic. Today what we lack in our country is the work ethic in various fields, in the professions, in the social spheres, in everything. People just do not want to work. And if you provide for a scheme or a plan -- because people want to know what are you doing; they say that you are in government, we have put you into power, we have voted you into power, whether in the States or in the Centre, please tell us what your plan is -- to relieve this unemployment or to give relief to people in their old age or to provide them with something, then you are building bridges to the people, you are also helping to ameliorate the lot of the people. In the international sphere, Sir, the International Covenant of Political Rights and the International Covenant on Social Rights were signed on the same day and they were passed on the same day by the U.N. in 1966. We are parties to both those human rights treaties. They are the major human rights treaties in the world today. Unfortunately, the economic part of it has

suffered grossly and gravely over the last fifty years. Hardly anybody paid much attention to the economic and social rights. A very large number of people pay attention to the civil and political rights. Although there are many NGOs, there are attempts to make the economic, social and cultural rights more meaningful. We could fulfil a very useful role, both in the world forum, particularly, in this country if we make some plan or scheme. You may not have a law as to how you are going to tackle this. First, find out what sort of avenues you propose for employment because only then will you fulfill a very important purpose which, I think, is the purpose of all Governments. This is, unfortunately, not in our Constitution, which is in the American Declaration of Independence, not even in the U.S. Constitution. It says, "An important thing for all Governments is preservation of life and liberty and the pursuit of happiness." It is very, very important. We have forgotten how to pursue happiness in this country. You can only make people happy if you give them the wherewithal to work.

SHRI B.P.SINGHAL (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to speak on the Bill introduced by Shri Dipankar Mukherjee. In the course of my speech, I will say whether it is worthy of being supported or not. My dear friend, Shri Jibon Royji, said, "It needs intention and the will for any Government to formulate such a law." But he forgot the most important factor. Even if there is a will and an intention, then, resources are crucial. Today, does this country have enough resources to really fulfil provisions of such a Bill? It is the practicality of all laws that must be seen first. The tragedy has been that we have been making laws after laws without being sure how much of it can be implemented. And the result is frustration and frustration. Poverty does not depend on money. सम्पन्नता केवल पुरुषार्थ से ही सम्भव है, सम्पन्नता का कोई संबंध धन से नहीं है। अगर पुरुषार्थ है तो सम्पन्नता अपने आप आएगी। आज की जो सबसे बड़ी त्रासदी है वह यह है कि आज का युवा दिशाविहीन है। उसको यही नहीं मालूम कि उसको जाना कहां है। युवा की क्या बात कहें, मुझे याद पड़ता है कि एक बार मैं झांसी से दिल्ली आ रहा था, उस गाड़ी में एक पैसेंजर बैठा था। मैंने कहा कि आप कहां जा रहे हैं क्योंकि कहीं रास्ते में उतर जाए तो दरवाजा खुला न रह जाए। उन्होंने मेरी तरफ मुंह करके कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद ऊंचा सुनते हैं। मैंने फिर जोर से कहा कि आप कहां जा रहे हैं? वह थोड़ी देर तक मेरे मुंह की तरफ देखते रहे और फिर बोले कि अभी तय नहीं किया है। गाड़ी में चले जा रहे हैं और अभी तय नहीं किया कि जाना कहां है। छोटी सी यात्रा है, रिवर्सिबल यात्रा है। मतलब यह कि अगर वह गलत आ जाएं तो झांसी लौट सकते हैं, अगर गलत गाड़ी पर चढ़ते हैं तो दिल्ली से आगे जा नहीं सकते, वहां गाड़ी खत्म हो जाती है, छोटी सी यात्रा है, टर्मिन्बल यात्रा, रिवर्सिबल यात्रा उसमें उसने तय नहीं किया कि कहां जा रहे हैं। कोई उसे मुखर्राज कहने से नहीं चूकेगा, महामूर्ख कहेगा।

**श्रीमती सरला माहेश्वरी :** आपके ... (व्यवधान)...

**श्री भारतेन्द्र प्रकाश सिंहल :** अगर आप चुपचाप सुन लें तो मैं बड़ा अनुग्रहित हुंगा क्योंकि आपकी आदत है। आप इस आदत को थोड़ी लगाम लगा दीजिए। मान्यवर मेरी सहायता करें।

**उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसू):** आपको संरक्षण प्राप्त है।

**श्री भारतेन्द्र प्रकाश सिंहल :** देखिए , कोई किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, यह प्राईवेट मेंबर्स बिल है। कृपया ध्यान से सुनते रहें।

मेरा कहना यह है कि छोटी सी यात्रा में उसने तय नहीं किया कि कहां जाना है तो हम उसको मूर्खराज कहने से नहीं चुके। आज इस जीवन यात्रा में हम सब चल रहे हैं। क्या हमें मालूम है कि हमें कहां जाना है , क्या गन्तव्य है हमारा। सबसे बड़ी मूल बात यह आती है। यह तो जीवन का गन्तव्य है। अगर संसार में रहना है तो संसार में एक लक्ष्य भी होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। मैं युनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए जाता हूं। मैंने वहां पर लड़के से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो , बीएससी कर रहा हूं , उसके बाद क्या करोगे , एमएससी करूंगा , उसके बाद क्या करोगे , साहब देखेंगे। बड़ी मुश्किल से सौ या दो सौ में एक मिलता है जो कहता है कि साहब मैं यह करने वाला हूं। इसी को मैं दिशाहीनता कहता हूं। मुझे याद है जब मैं इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में था तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं इंडियन पुलिस सर्विस में जाऊंगा। मैंने अपना पूरा विद्यार्थी जीवन , एक पुलिस अफसर मे क्या गुण होने चाहिए , उसी को डेवलप करने में लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि जब हमारी उम्र आई कोई रोक नहीं सकता था। आज का युवा अपने बारे में नहीं सोच रहा है तो सरकार क्या सोचेगी। जब उनको यह नहीं मालूम कि उनको क्या करना है तो वह कैसे अपने को इम्प्रुव करेगा उस पर्टिकुल जॉब के लिए जो उसे करना है। आज की एजुकेशन की हालत यह है। मैं एक सलेक्शन बोर्ड में बैठा था। एम.ए. फर्स्ट क्लास से मेरे साथी ने बोर्ड में पूछा कि अमेरिका की कैपिटल क्या है , मैंने साथी की तरफ देखा कि यह क्या सवाल एम.ए फर्स्ट क्लास से पूछ रहा है कैपिटल ऑफ अमेरिका पूछ रहा है , जह तक मैं इस बात को सोचता कि क्या पूछना है तब तक जवाब आता है- न्युयार्क। मैंने पूछा कि रूस की कैपिटल क्या है तो उसने कहा - स्टालिनग्राड। अब यह तो हालत एम.ए फर्स्ट क्लास की है। वह एम.ए . इंगलिश में फर्स्ट क्लास था। उससे मैंने कहा कि शेक्सपीयर की स्पेलिंग कर दो, वह स्पेलिंग नहीं कर सका। आज की एजुकेशन की यह हालत है। मेरा कहना यह है कि हमारे यहां जो चीफ मैलेडी है वह अनएम्प्लायमेंट की उतनी नहीं है। जितनी की मैल इम्प्लायमेंट की है।

मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त है उसने इंडस्ट्री लगाई हुई है। उनके यहां एक फौरमैन की और एक क्लर्क की जगह खाली थी। उनके पास क्लर्क के लिए छह हजार एप्लीकेशनस आयी और फौरमैन के लिए चार एप्लीकेशन आई। फौरमैन की तनखाह ढाई हजार रुपये थी और क्लर्क की पन्द्रह सौ रुपये थी। ढाई हजार की तनखाह के लिए चार एप्लीकेशन आई और पन्द्रह सौ रुपये की नौकरी के लिए छह हजार एप्लीकेशनस आयीं। हमारे जो पढ़े-लिखे यूवा हैं वे मेहनत करने से पीछे हटने लगे हैं। इनमें जब तक पुरुषार्थ नहीं आया तब तक कोई सॉल्युशन नहीं निकल सकता है। अधिकार देने की बात कही थी। यहां पर हर व्यक्ति को वोट का

अधिकार मिला हुआ है। उसका इस्तेमाल किस प्रकार से हो रहा है, जाति के बेसिस पर यानी वोट का जो अधिकार मिला है उसका दुरुपयोग हुआ है उसी से आज समाज की जो व्यवस्था बनी है वह हमारे सामने हैं। अधिकार दिया गया ओल्ड ऐज पेंशन का। आप किसी भी गांव में चले जाइये 40-40, 50-50 वर्ष के लोगों को ओल्ड ऐज पेंशन बड़े आराम से मिल रही है क्योंकि तहसीलदार से उन्होंने फिट कर लिया है जहां-जहां पर बाढ़ आयी या भूकम्प आया वहां पर फ्री फुड ग्रैन्स दिया गया। पता चल रहा है स्टेट लेवल पर भी यह सुनने में आ रहा है कि वही फूड ग्रैन्स प्रोक्योर करके वापस कर देते हैं पैसा उनसे लेते हैं, वह उन तक पहुंच ही नहीं रहा है। आप किस सिस्टम के आधार पर अन-एम्प्लायमेंट अलाउंस देंगे? आप बात करते हैं इंग्लैंड की और यूनाइटेड स्टेट्स की। वहां पर जिस दिन किसी व्यक्ति को एम्प्लायमेंट मिल जाता है। उसी दिन वह नोटिफाई कर देता है कि मेरे को एम्प्लायमेंट मिल गया है, अब मुझे अनएम्प्लायमेंट अलाउन्स नहीं चाहिए। क्या हमारे यहां जिनको अनएम्प्लायमेंट अलाउंस मिलेगा, वे ऐसा करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50 फीसदी भी ऐसा करनेको तैयार नहीं होंगे कि साहब हमारी नौकरी लग गई है अब आप हमारा अलाउंस बंद कर दीजिए ऐसे इस देश में नहीं होंगे यहां तो एक रुपया बेईमानी का कोई कमा सके वह भी पीछे नहीं हटेगा, बहुत रेयर है जैसा हमारे चरित्र का हनन हुआ है, पतन हुआ है उसको देखते हुए यह एक बहुत लॉडेबुल, आइडियल, युटोपियन बिल है मुझे पता नहीं कि इस का क्या हश्र होने वाला है।...

**उपसभ्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु):** आप समाप्त कर दीजिए।

**श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल:** गरीब से गरीब लोगों के लिए हाउस बनाने की एक स्कीम हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही है। जो व्यक्ति गरीब से गरीब है उसको घर बनाने के लिए 25 हजार रुपये दिए जाते हैं लेकिन उसके हाथ में 10 हजार रुपये ही आते हैं बाकी सब चढ़ावे में चढ़ जाते हैं। किस तरह से आप देंगे, किस आधार पर देंगे, कौन जज करेगा कि यह अनएम्प्लॉयेड है या नहीं? जब ओल्ड ऐज पेंशन के लिए 40 वर्ष वाले सर्टीफिकेट ला सकते हैं तो बहुत से इम्प्लॉयड भी सर्टीफिकेट ले आएंगे कि हम अनइम्प्लॉयड हैं, हमें भी अलाउंस दिया जाए। महोदय, हमारे यहां स्वतंत्रता सेनानियों को भी भत्ता दिया जाता है। हमारे यहां 1 लाख 75 हजार के करीब लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानी अलाउंस पाते हैं। महोदय, जो स्वतंत्रता के संग्राम में लगा होगा, अगर वह 15 वर्ष की आयु में भी लगा है तो उसकी उम्र आज – आप उस 15 वर्ष में 55 वर्ष और जोड़ दीजिए – 70 वर्ष की हो गयी होगी। अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी 70 वर्ष से छोटा है तो बहुत ढूँढ़कर देखना होगा कि वह सच्चा है या वैसे ही जाली सर्टीफिकेट लाकर स्वतंत्रता सेनानी हो गया है। इस तरह से काम हो रहे हैं। इसलिए जो वैलफेयर स्कीम्स हैं, वह उस सोसायटी में तो बहुत अच्छी तरह से चल सकती है जहां पर ईमानदारी एक नॉर्म हो, जहां पर चरित्रवान लोग हों किन्तु जिस प्रकार की सोसायटी हमारी है, मैं नहीं समझता कि अगर यह बिल शासन द्वारा पास कर भी दिया जाए तो इसका इम्प्लीमेंटेशन किसी प्रकार से हो सकेगा। महोदय, हमारे देश का चरित्र अभी इस स्तर पर नहीं पहुंचा है, जिसमें यह अधिकार हम दे सकें क्योंकि ऐसा करने पर इसका बहुत दुरुपयोग होगा इसलिए मैं इस बिल के खिलाफ अपना मत देता हूं। धन्यवाद।

**श्री सरोज दुबे (बिहार):** धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, आप कृपया घंटी मत बजाइएगा, मैं बहुत थोड़े में बोलूंगा। महोदय, मैं बेरोजगारी भत्ता संदाय विधेयक, 2001 का

पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ क्योंकि इस विधेयक के माध्यम से बहुत सही विषय उठाया गया है। आज हमारे देश में बेरोजगारी सुरसा के मुँह की तरह बढ़ती चली जा रही है और हमारा बेरोजगार नौजवान श्रम के बाजार में अपना श्रम बेचने के लिए तैयार खड़ा है लेकिन उसके श्रम की कोई कीमत देने के लिए, उसका श्रम खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है तो इसमें उसकी क्या गलती है? यह सरकार का दायित्व हो जाता है कि अगर वह बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पाती है, अगर उनके हाथ को काम नहीं दे पाती है तो उसके बदले में उनको भत्ता देना चाहिए क्योंकि चाहे बेरोजगार नवयुवक हो या प्रौढ़ हो, कोई भी हो, उसको भी जीने का अधिकार है, उसको जीने के लिए पैसा चाहिए और पैसा चाहिए और पैसा देने का काम सरकार को करना चाहिए इसलिए भत्ता संदाय विधेयक बहुत सही मांग कर रहा है। महोदय, अभी हमारे माननीय संसद ने कहा कि नौजवान भ्रमित हो गया है, वह अपने पुरुषार्थ को नहीं पहचानता है, वह एम.ए. में थ्रुआउट फर्स्ट क्लास आया है पर अंग्रेजी में शेक्सपीयर के स्पेलिंग नहीं जानता। मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि एक बार जरा बेरोजगार लोगों के अंतःतक पहुंचकर तो देखिए। गरीबी, पीड़ा और भुखमरी किसी के अंदर पुरुषार्थ नहीं पैदा करती है। गरीब परिवार से पैदा हुए लड़के के मां-बाप जब उसे कर्ज लेकर पढ़ाते हैं, जब उसको डिग्री दिलवाते हैं तो उनकी आखों में एक सपना होता है, उस नौजवान की आखों में एक सपना होता है। मां-बाप सोचते हैं कि बच्चा पढ़कर आएगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और वह नौजवान सोचता है कि मैं डिग्री ले रहा हूँ, मैं बड़ा अफसर बनुंगा या कोई अच्छा काम करुंगा। जब उसके सपने टूटके हैं तो उसके अंदर पुरुषार्थ पैदा नहीं होता है, वह टूट जाता है, उससे अंदर कुंठा पैदा हो जाती है। महोदय, जब सरकार अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाती है तो सरकार को कोई अफसोस नहीं होता है लेकिन जब वह बेरोजगार नौजवान अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाता है, अपने मां-बाप के प्रति अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाता है तो उसके मन में कुंठा उत्पन्न होती है। वह सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब वह खाली हाथ जिसको काम नहीं मिलता है, वह या तो बंदूक उठा लेगा है या फिर वह चैन छीनने लगता है यह अपराध करने लगता है क्योंकि उसको भी समाज में रहना है, उसे भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, उसे भी अपनी बहन की शादी करनी है, उसे भी अपने बीमार मां-बाप का इलाज करना है तो वह क्या करे? उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है। हमारे रिहल साहब जो इस तरह की बातें कह रहे हैं, मैं उनसे यह कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की आपकी शिक्षा प्रणाली है, उसी प्रकार से तो नौजवान सीखेगा। जब नकल अभियान को आप बढ़ावा दोगे, सनकल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करोगे तो शेक्सपीयर के क्या, वह अपने नाम के स्पेलिंग भी नहीं लिख पाएगा, शेक्सपीयर तो बहुत दूर की चीज है। आप लोग तो उसका भगवाकरण करने जा रहे हैं आपको क्या चिंता है? जब शिक्षा का भगवाकरण होता जा रहा है तो बस राम, राम पढ़ना है, उसकी स्पेलिंग कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए आपने नौजवानों के ऊपर, नौजवानों की भावनाओं के ऊपर जो इस तरह से अटौक किया है, जो प्रहार किया है, इससे हमें सचमुच बहुत पीड़ा पहुंची है। हमें लगता है कि आप बेरोजगार नौजवान और गरीबों की तह तक नहीं पहुंच पाए हैं। जिनका सपना टूटता है, उनको दर्द की खनक आपके कानों तक नहीं पहुंची इसीलिए आपने उनकी भावनाओं पर प्रहार किया है। महोदय, बेरोजगारी अपने आप में व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है और समाज के लिए विघटनकारक भी है। इसका गहरा रिश्ता गरीबी और जनसंख्या वृद्धि से और अपराध से होता है। हमारे यहां बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता है लेकिन औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में जो कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उनके तहत जो बेरोजगार हैं उनको भत्ता देने का प्रवाधान होता है। हमारे देश में प्रतिवर्ष दो करोड़ लोग नौकरी

की तलाश में निकलते हैं। भारत में आबादी की वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष है जबकि काम करने योग्य लोगों की जनसंख्या वृद्धि से बहुत ज्यादा है और भारत में खाली आठ प्रतिशत संगठित क्षेत्र काम करते हैं बाकी 92 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। उनके काम की कोई सुरक्षा नहीं है और जब चाहे निकाल देते हैं। हमारे यहां कई तरह के बेरोजगार नौजवान हैं, मौसमी बेरोजगार हैं जो खेती में काम करते हैं। वे 6 महीने काम करते हैं और 6 महीने बैठ रहते हैं। आपकी उदारीकरण की नीति और वैश्वीकरण की नीति ने उदारवाद चलाया है जिसके तहत रोजगार के अवसर संकुचित होते चले जा रहे हैं। तमाम जगहों पर लोगों की छटनी होती जा रही है चूँकि मशीनें आ गई हैं। इसलिए नए रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं और रिटायरमेंट की ऐज बढ़ा दी है। इसलिए पुराने लोगों को निकाला नहीं जा रहा है। देश में बेरोजगारी की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। इस उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण जो दस्तकार हैं, हमारे जो पारंपरिक हुनर थे सब नष्ट होते चले जा रहे हैं। एक कुम्हार काम करता था तो उसके साथ दस उसके घर वाले काम करते थे। उनके लिए कभी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती थी। एक मोची का काम करने वाला को इससे पूरे परिवार को रोजी-रोटी उपलब्ध हो जाती थी। कालीन बनाने वाले के पूरे परिवार को रोजी-रोटी उपलब्ध हो जाती थी। ये सारे दस्तकार और हुनर अब खत्म हो गए तो हर हाथ को काम कहां से मिलेगा। हर व्यक्ति शहर की तरफ भागता चला जा रहा है क्योंकि शहर में ये सारी सुविधाएं हैं और गांव में पीने का पानी भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, बिजली भी नहीं है तो जो नौजवान पढ़कर निकल रहा है, वह शहर में दुनिया की जगमगाहट देखता है तो उसको लगता है कि वह भी इस देश का नागरिक है। उसे भी जगमगाहट में जाने का हक है, इसलिए वह शहर की तरफ भागता है। शहर में जाकर उसको कोई रोजगार नहीं मिलता है क्योंकि रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं किए जा रहे हैं। कल माननीय मंत्री जी ने बहुत सी रोजगार योजनाएं गिनाई हैं, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना और सुनिश्चित योजना। यह उनको भी मालूम है कि ये सारी योजनाएं रोजगारोन्मुखी थी, गरीबी को दूर करने वाली थी, अब भ्रष्टाचार की भेट चढ़ी हुई है। यदि कोई बेरोजगार चाहे भी कि इनसे लोन लेकर कोई रोजगार प्रारम्भ कर ले ... (समय की घंटी)

**उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु):** सरोज जी, मुझे बेल बजाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आपने जो खत्म करने का वायदा किया था, पूरा नहीं किया।

**श्रीमती सरोज दुबे:** सर, अभी समाप्त करती हूं। ये सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेट चढ़ गई। कमीशनखोरों का काम इतना बढ़ गया है कि अगर आप लोन लेने जाएं तो वे कमीशन ले लेते हैं। आपको जो छूट मिलती वे ले लेते हैं। बेरोजगार नौजवान ऋण लेने के चक्कर में और ज्यादा ऋणग्रस्त हो जाते हैं। आपने ये जो रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम दिए हैं, इनके नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इनको फिर से देख लें। ये नाम बड़े आकर्षक हैं लेकिन जिस नीयत से आपने किया है, इनसे फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए इस पर निगरानी रखनी चाहिए। समय कम है, ज्यादा क्या कहूं। हमारी बहनों की तो अत्यधिक दयनीय हालत है और यह जो उदारीकरण आ रहा है, वैश्वीकरण आ रहा है, इसके तहत तो महिलाओं की स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। क्योंकि महिलाओं में कुशलता की कमी है, इसमें कोई नहीं है। अनस्किल्ड महिलाओं को निकाला जा रहा है। खेतों में काम करने वाली महिलाओं को समान वेतन नहीं दिया जा रहा है और उनपर अत्याचार बढ़ रहा है।



मेरा आपसे निवेदन है कि आप नए सिरे से पर विचार करें। जहां हर साल दो करोड़ आदमी रोजगार की तलाशमें आ रहे हैं, हर साल हमारी महिलाएं आ रही हैं, एक नये तरीके से आप इस पर विचार करें। देश का संवैधानिक दायित्व है कि जो बेरोजगार हैं उन्हें भत्ता दें। आप देखेंगे कि आजकल अखबार में रोज निकलता है कि एक महिला ने चार बच्चों के साथ नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली – कारम था भुखमरी, नौजवान ने फांसी लगा ली – कारण था बेरोजगारी। आजकल अखबारों में अकसर यह देखने को मिलता है बुनकरों ने आत्महत्या कर ली। वे मरने के लिए विवश हो गए क्योंकि उनके पास इस सरकार की गलत नीतियों के कारण आमदनी का जरिया नहीं बचा था। स्वतंत्र भारत के नौजवान और नागरिक इस तरह से आत्महत्याएं करें, क्या इसीलिए आजादी दिलाई थी कि वह भुखमरी के कारण आत्महत्या कर लें, बेरोजगारी के कारण आत्महत्याएं करें, क्या इसीलिए आजादी दिलाई थी कि वह भुखमरी के कारण आत्महत्या कर ले, बेरोजगारी के कारण अपनी जान दे दें, बेरोजगारी के कारण समाज में खड़ा होने के लायक न रहें? उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का इसलिए भी समर्थन करती हूं कि आप इस बात पर फिर से विचार करें। देश का नागरिक चाहे छोटा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो रह किसी को जीने का अधिकार है। जीने के लिए पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए इसलिए आप फिर से एक बार इस पर गंभीरता से विचार करें। आप बेरोजगारों का आंकड़ा तैयार कीजिए क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बेरोजगारों का आंकड़ा आपके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। आपने गठन भी किया था लेकिन वे आपको ये आंकड़े उपलब्ध नहीं करा पाए हैं इसलिए आप पहले आंकड़े उपलब्ध कराइए उसके बाद बेरोजगार भत्ता देने का पूरा पूरा प्रयास करें ताकि बेरोजगार, जिसका कोई कुसूर नहीं है उसे भी जीने का हक मिल सके, वह समाज में सम्मान के साथ जी सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

**श्री श्याम लाल (उत्तर प्रदेश):** माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज श्री दीपांकर मुखर्जी द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस संदर्भ में मैं महात्मा गांधी के विचारों को आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी भी देश की आजादी और अखण्डता तभी सुरक्षित रह सकती है, जब वह देश और उस देश की सरकार यह निर्णय करे कि हम अपने देश की धरती के उत्पादन पर आत्मनिर्भर हैं। धरती के उत्पादन में केवल खद्यान्न, वृक्ष, पौधे ही नहीं आते हैं बल्कि उस देश के नागरिक भी आते हैं। आज जो स्थिति हमारे सामने आई है वह निश्चित तौर पर भयावह स्थिति है लेकिन इसकी उत्पत्ति हुई कहां से हुई है। यदि हम 1947 के बाद से जोड़ें तो आज 54 वर्ष हो चुके हैं। इन 54 वर्षों में 21 वर्ष की नौजवान पीढ़ी को हमने ऐसा बनाया है, जो लज्जारहित शिक्षा से वंचित रहे हैं, उत्पादकीय शिक्षा से वंचित रहे हैं और देश की उत्पादन प्रक्रिया से वंचित रहे हैं। उन्हें तलाश है तो केवल क्लर्क की, केलव नेतागिरी की। इसके अलावा हमने उन्हें ऐसा नहीं बनाया है कि वे लज्जारहित होकर देश के उत्पादन में अपने को समाहित कर सकें। उपसभाध्यक्ष जी, किसी भी समाज की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान है, बीमार पड़ा तो दवाई है, शिक्षा है, ये सब चीजें हैं। इसके बाद सबसे बड़ी चीज लहै आत्मसम्मान के बारे में गांधी जी ने कहा था कि साधू, महात्मा लोगों के लिए जो सदाव्रत चलाया जाता है, यह आलस का प्रतीक है, यदि मेरा बस चले तो मैं इसे भी बंद कर दूं। आज हमारे साथी बड़ी खुशी से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं एक और चीज आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि जिस देश के नौनिहाल विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उन्हें भी आप भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति में ढाल रहे हैं। हम स्कूलों में गल्ला बांटते हैं जो हमारे बच्चों के आत्मसम्मान के विपरीत हैं। जब हमारे देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी तब भी यहां भुखमरी थी, कठिनाई थी। लेकिन भत्ते की मांग कोई नहीं

[10 August, 2001]

RAJYA SABHA

करता था। आज हमारे देश की जमीन उतनी ही है, सारे संसाधन उतने ही हैं और हमारी आबादी एक अरब से ऊपर जा चुकी है। लेकिन आज हम भुखमरी के कगार पर नहीं हैं। परंतु काम न करने वालों की संख्या बढ़ गई है। यदि काम न करने वालों की संख्या बढ़ी है तो उसका दोषी कौन है? इसकी दोषी पूर्ववर्ती सरकारें हैं। उन्होंने हमारी इस पीढ़ी को निकम्मा बना रखा है। इसलिए इस पर आपको गौर करने पड़ेगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा देश में गरीबी है। जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से एक भयानक स्थिति सामने आने वाली है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि इस देश का नौजवान बेरोजगारी का शिकार होगा। लेकिन जो गांव के युवक हैं, जो वहां पर काम करना चाहते हैं या काम में लगे हुए हैं, किसानों का काम करते हैं वे बेरोजगारी के भत्ते की मांग नहीं करते। लेकिन निश्चित तौर पर जो सफेदपोश बनकर घुमना चाहते हैं, सजो काम नहीं करना चाहते हैं, वे बेरोजगारी भत्ते की मांग करते हैं। ...**(समय की घंटी)**...

महोदय मैं पहली बार बोल रहा हूँ।

अगर सभी आईएस बनना चाहें तो कितने लोग जिलाधिकारी बन सकते हैं। अगर सभी आईपीएस बनना चाहें तो कितने लोग पुलिस अधीक्षक बन सकते हैं। अगर सभी क्लर्क बनना चाहें तो कितने लोग क्लर्क बन सकते हैं? क्या हर परिवार के नवयुवकों को रोजगार मिल सकता है? यह असंभव है। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान ये सब जीवन के लिए आवश्यक हैं। इसके लिए उनके लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। अगर लज्जारहित शिक्षा होगी, तकनीकी शिक्षा होगी और इसके आधार पर शिक्षा दी जाएगी, रोजगार परक शिक्षा होगी तो कुछ हद तक इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। यदि सरकार देश का निर्माण करना चाहती है तो सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। माननीय सदस्य ने जो बेरोजगार भत्ते की मांग रखी है, मेरा माननीय है कि निश्चित तौर से उन्हें देश के सामने इस प्रस्ताव को नहीं रखना चाहिए। यह प्रस्ताव देश को भिक्षावृत्ति की ओर ले जाएगा। मैं इस बिल का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह जरूर चाहूंगा कि इस सदन में ऐसी योजनाओं पर विचार हो जिससे देश की बेरोजगारी का हल निकल सके। धन्यवाद।

मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। यह छोटी सी बात है। इस जिंदगी में श्रम करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रकृति सब चीजें हमें जीती है। हमने लिखा है कि

"Life is equal to nature plus labour X labourers which is equal to production."

यह फार्मुला जो है अगर इसको फालोअप किया जाए तो इस देश में किसी चीज की कमी नहीं होगी। महोदय, जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

**श्री अवनि राय** (पश्चिमी बंगाल): महोदय, अभी अभी हमारे माननीय सांसद ने कहा कि वह बेरोजगारी भत्ते के खिलाफ हैं और किसी ने कहा कि काम न करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं भी मानता हूँ कि बेरोजगारी भत्ता न दिया जाए मगर उनको रोजगार दिया जाए।

अगर यह बात होती तो मैं उनके साथ, जिन्होंने अभी कहा है कि काम न करने वालों की संख्या ज्यादा है, बढ़ती जा रही है। लेकिन शायद उनको यह पता नहीं है कि काम न मिलने वालों की संख्या ज्यादा होती है जा रही है। जिस ढंग से उन्होंने कहा कि खेकी में जो लोग काम करते हैं गांवों में जो लोग काम कर रहे हैं, वह भत्ता नहीं मांगते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या गांव के बेरोजगार युवक अपनी जरूरत के लिए पैसा नहीं मांगते, क्या वह अपने माता पिता से पैसा नहीं मांगते इधर उधर आने जाने के लिए पैसा नहीं मांगते? अगर वह पढ़े लिखे हैं तो क्या वे उनको शहर भेजने की कोशिश नहीं करते ताकि उनको नौकर मिल सके। कहने के लिए आप कहते हैं कि भत्ता न दिया जाए, इसका आप विरोध करते हैं। इसका कारण यह है कि आप उन लोगों के साथ होते हैं जिनके पास या पैसा है या जिनके पास कहीं और से पैसा आता है। आम जनता, गरीब जनता, मजदूर और मेहनतकश के लड़के को नौकरी नहीं मिलती है। रास्ते में अगर कोई भीख मांगता है तो भीख देने से पहले उसको कहते हैं कि तगड़े हो, जवान हो काम क्यों नहीं करते हो। अगर नहीं भिखारी कर दे कि काम दे दो बाबू तो हम कहेंगे कि दूसरी जगह देखो। यह तो हमारे बोलने का तरीका है। हम इसको नहीं देखेंगे, इस पर विचार नहीं करेंगे। बेरोजगारी भत्ता, रोजगार नहीं मिलने के लिए भत्ता और रोजगार से जो हटाए जा रहे हैं, उनको भी भत्ता देना चाहिए। दिन-प्रतिदिन जितने कारखाने हैं, चाहे वह चीनी मिल हो, सूती कपड़े की मिल हो कोयला खदान हो, हर जगह उद्योग बंद होते-होते यह स्थिति होती चली जा रही है कि हमारा देश अविकसित देश में परिवर्तित होता जा रहा है। हमारे देश के नौजवान काम मांगते हैं, भत्ता नहीं मांगते हैं। लेकिन काम देने वाले कारखाने चलाने वाले कारखानों को बनाने वाले चाहे वह सरकार हो या निजी मालिक हो कोई भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। खासकर के उसी टाइम पर जब नौजवान बेरोजगार भत्ते के लिए कहते हैं तो उसी टाइम पर सरकार कारखानों को बंद करने की साजिश में लगी हुई है ताकि नौजवानों को रोजगार न मिले, नौजवान भटक जाएं। और उस नौजवान को इस्तेमाल कर पाएं, वह क्रिमिनल बनें और कहीं कहीं तो आतंकवादी भी बन जाएं। अभी कश्मीर की बात हो रही थी। यह कहा गया आतंकवाद इसलिए फैल रहा है क्योंकि युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हर जगह यही बातें कही जाती हैं। समाज के नौजवान युवक इसलिए भटक रहे हैं। उनके पास चलने फिरने के लिए, थोड़ा-बहुत खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं इस बिल का खाली समर्थन ही नहीं करता हूँ, समर्थ के साथ-साथ सरकार को भी कहता हूँ कि इस भत्ते को देने के लिए जल्दी से ऐसी कोई नीति बनाए ताकि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाए और जिनके पास रोजगार है उनका रोजगार छीन नहीं जाए। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Now, we have come to the end of the discussion. Mr. Minister, please.

**श्री मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया):** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री दीपाकर मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत बेरोजगारी भत्ता देने का जो विधेयक है, इस चर्चा ने बहुत सारी बातों को हम सबके सामने रखा है। आपने जो बात कही है, उसमें कहा है कि बेरोजगार व्यक्तियों को भत्ता देने के लिए जो कुछ खर्च करना है, जो कुछ भी उसमें राशि लगने वाली है, जो कर भुगतान नहीं हो रहा है, उन करों की वसूली यदि ठीक प्रकार से हो जाए तो यह भी एक प्रभावी उपाय के रूप में संसाधन जुटाने के लिए उपयोगी हो सकता है। उन्होंने संख्या भी दी है कि कितने चूककर्त्ता हैं। यदि उन सबसे वसूली हो जाए तो इसका लाभ मिल सकता है। श्री मूल चन्द मीणा ने भी इसके बारे में बात करते हुए कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए लघु उद्योगों का सहारा लिया जा सकता है, उसको बढ़ावा देना चाहिए।

गावों में काम करने वाले, खेतों पर करने वाले लोगों की मजदूरी के बारे में और श्रीमिकों को शोषण से मुक्त करने के लिए विविध उपाय कये जाने चाहिए। संघ प्रिय गौतम जी ने अपनी बात करते हुए जनसंख्या की बात कही कि जनसंख्या नियंत्रण का यदि काम हो तो निश्चित रूप से जितने रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए उसका असंतुलन नहीं होगा। यदि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए तो रोजगार जितने पैदा हो रहे हैं उसमें से उसकी पूर्ति हो सकती है। किंतु जनसंख्या भी एक ऐसी बात है जिसका नियंत्रण करना और प्रभावी नियंत्रण करना, उसके अनुपात में नियंत्रण करना जितने कि हमारे पास रोजगार हैं, यह अभी संभव नहीं हो पा रहा है। माननीय मैबल रिबैलो जी ने शिक्षा प्रणाली को रोजगार उन्मुख बनाने की बात की। हम हिंदुस्तान की आजीदी के बाद से इस बात को कहते आ रहे हैं कि शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना चाहिए, कौशल के साथ बनाना चाहिए। उसमें व्यवसायिक प्रशिक्षण का पुट होना चाहिए और पढ़ने के बाद कुछ कारोबार करने की क्षमता उसमें आ जाए इस प्रकार के उपाय जरूर करने चाहिए। जहां तक यह प्रशिक्षण का मामला है जितने लोग शिक्षण प्राप्त करते हैं उन सबको प्रशिक्षित करना, सरकार उनको प्रशिक्षित करे इसके लिए संसाधन और उपाय जुटाना निश्चित रूप से एक चुनौती है। यह प्रबंध करने का काम जो है यदि इसमें जहां - जहां इसकी जरूरत हो वे लोग भी आए, अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करें तो इस प्रशिक्षण के काम को व्यापकता देने के बाद रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सकता है। कौशल का उन्नयन होने के नाते भी उसका जो पारिश्रमिक है, जो उसकी मेहनत है, उसका मुआवजा है उसको बराबर किया जा सकता है। विरुम्बी जी ने बहुत अच्छा अपनी बात को कहा। सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन बातों को कैसे करना चाहिए। सरकार का यह मत है कि छोटे - छोटे कारोबारी क्षेत्रों में जहां इन्कम का जरिया कम है, ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा कारोबार बढ़ाकर जी डी पी में, सकल घरेलू उत्पाद में इसको विस्तार मिलना चाहिए, उसमें वृद्धि की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में विस्तार हो जाए और इसके कारम जी डी पी देखने को तो ठीक हो जाए लेकिन उसका लाभ बहुत लोगों तक न पहुंच पाए। इस दृष्टि से विरुम्बी जी ने जो सुझाव दिया था वह अच्छा है। पानी के प्रबंध की बात उन्होंने कही और बाकी सभी लोगों से राय मिला करके इसमें कुछ करने के लिये कहा। ललितभाई मेहता ने कहा कि नदियों का पानी समुद्र में जा रहा है। सिंचाई के बांध होंगे, कृषि होगी और कृषि से कारोबार होगा तो उसके काम से भी बेकारी दूर हो सकती है। इन सारी बातों में रोजगार बढ़ाने की क्षमता है, अवसर भी है। डाक्टर एम एन दास जो अभी - अभी बोल रहे थे, और पिछले वक्त भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार एक महत्वपूर्ण बात है जो होना चाहिए। रोजगार के बिना लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है और जिदगी एक जद्दोजहद बन गयी है। उस दृष्टि से उन लोगों को भत्ता देना जरूरी हो गया है जिनके पास रोजगार नहीं है। इसके बाद आज की बहस में हिस्सा लेते हुए माननीय सदस्यों ने इस चर्चा को बहुत ही प्रमुखता देते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया। निश्चित रूप से उनके सुझाव काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। खुटिया जी बोल रहे थे। निश्चित रूप से वे एक श्रमिक नेता हैं। कहते हैं और प्रत्यक्ष देखते हैं कि उनको क्या कठिनाइयां हैं। संगठित क्षेत्रों में छंटनी से काफी लोगों की बेरोजगारी, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति, देश के बहुत बड़े श्रमबल और लोगों को बराबर वर्ष भर काम मिलता नहीं है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जिनको कुछ काम नहीं मिलता उनकी संख्या भी देश में काफी ज्यादा है और इस दृष्टि से भी यह बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। यह समय की जरूरत है। इस प्रकार के उन्होंने विचार व्यक्त किए। आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के आने के कारण भी जितने लोग पहले काम में लगते थे उनकी संख्या कम होती चली जा रही है। यह मुश्किल के रूप में आ रहा है। इसलिए उन्होंने सुझाया कि अगर दक्ष कारीगर होंगे, अच्छे कुशल कारीगर होंगे, हुनर का उन्नयन होगा तो निश्चित रूप से इस बात में कुछ सहायता हो सकती है। बाल श्रमिकों के बारे में उन्होंने कहा कि कम दाम देकर उनको काम

में लगया जाता है। मुनाफेवाले, समझदार लोग होते हैं। वे उस तरह से चालाकी करके व कम समय देकर ज्यादा काम लेकर इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। इस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि इस बारे में सरकार कुछ कर रही है, किंतु बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, ऐसी भी उनकी शिकायत थी। उनका यह भी कहना था कि बूढ़े लोगों को भत्ता देना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जवानों को भत्ता क्यों नहीं देना चाहिए? बूढ़े लोगों को भत्ता मिले, निश्चित रूप से सरकार का यह एक सामाजिक प्रतिष्ठा का दायित्व है और वह उसको निभा रही है, लेकिन नौजवानों को भी भत्ता दिया जाना चाहिए। उनकी यह मांग नॉर्थ-ईस्ट की बेरोजगारी के बारे में थी। बाकी के बहुत सारे विषय जो सुझाव के रूप में दिए वे भी काफी महत्वपूर्ण रहे। प्रभाकर रेड्डी जी ने भी इसी तरह की समस्याओं के बारे में कहा है। उन्होंने कहा कि यह समस्या व्यापक है, समग्र रूप से राष्ट्रीयव्यापी है, रोग का निदान हो जाने के बाद उसके उपचार का उपाय होना चाहिए अन्यथा यह आपराधिक गतिविधियों को भी जन्म देने वाला है। जिस तरह से दुनिया के कई देशों में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है उसी तरहसे हिन्दुस्तान में भी यह व्यवस्था करना जरूरी है। सरला माहेश्वरी जी ने कहा कि बेरोजगार होना तो एक त्रासदी है ही, किंतु यह अमानवीय भी है। इस दृष्टि से इस त्रासदी को और अमानवीयता को छोड़ना चाहिए। उनको मेरी बेचारगी पर चिंता थी, किंतु आपके रहते मैं बेचारा नहीं हो सकता हूं। कुछ न कुछ उपाय हम जरूर करने वाले हैं। इस दृष्टि से हम चाहेंगे कि आपकी और संसद की मदद से, कुछ अच्छी बात जो यहां पर आ रही हैं उनके सहारे हम कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। पूंजीवाद के बारे में उन्होंने कहा और बड़ी सैद्धांतिक बातों को कहा, निश्चित रूप से वे सैद्धांतिक बातें समय पर सत्य उतरती हैं। उन्होंने कहा कि यदि पूंजीवाद है तो फिर बेरोजगारी तो होनी ही है, क्योंकि पूंजीवाद यह नहीं देखता कि इसमें रोजगार के अवसर सृजन हो रहे हैं या नहीं, वह तो देखता है कि पूंजी का उत्पादन कितना हो रहा है, यही उसकी धारणा रहती है। उसके लिए जो - जो भी उपाय हो सकते हैं, वे सारे उस पूंजी को बढ़ाने के लक्ष्य को ही सामने रखते हुए होते हैं। रोजगार उसका विषय नहीं रहता। पूंजीवाद की मान्यता के आधार पर बेरोजगारी जब हो जाती है तो इस बेरोजगारी का निवारण करने के लिए सहायता की आवश्यकता है। काफी बातें उन्होंने बताई हैं कि मंदी है, छंटनी हो रही है, जो रोजगार मिले हुए हैं उनमें कमी हो रही है, यह उनकी चिंता थी। काफी बड़ा उनका भाषण था और काम के मौलिक अधिकार की बात भी उन्होंने कही है। बाकी की बातें भी मुख्य थीं। उन्होंने कहा है कि इसमें आर्थिक गतिरोध का दुष्प्रक्र है और इसमें सरकार ही रोजगार देने का उपाय करने वाली एक बहुत बड़ी एजेंसी है। संविदा श्रम की बात उन्होंने कही है और बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा है कि बेकारी ने बाजू भी कलम कर दिए, निश्चित रूप से हम अपनी कलम से बाजुओं में ताकर लाने का काम करें और यह संसद निश्चित रूप से इसके लिए समर्थ है कि किसी तरह से उपाय करके उसको सार्थक कर सकती है। इसलिए मैं आजू और बाजू की बात नहीं करता, मैं तो सीधी बात करता हूं कि इस दृष्टि से माननीय सदस्यों की जो चिंता है उसको पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिए। उस पर सरकार द्वारा विचार करने की दृष्टि से आपने जो महत्वपूर्ण बातें दी हैं वे हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। नारीमन जी ने कहा कि मंदी का दौर है। सारी दुनिया में इस प्रकार के होता हो रहे है कि उत्पादन बहुत हो रहा है, लेकिन बुढ़ाव नहीं हो रहा है।लेबर मॉर्केट की स्थितियां बदल रही हैं। लेबर मॉर्केट में जिस प्रकार की जरूरत है, स्किलनैस की, कुशलता की, हुनर की, वह भी टैक्नीकल होता चला जा रहा है। तकनीकी कुशलता को प्राप्त करने के लिए जो उपाय किया जाना चाहिए उसको जुटाने की जरूरत है। फिर बाकी की बातों को कहते हुए उन्होंने अपने सारे विचार व्यक्त किए हैं, जो कि महत्वपूर्ण हैं। सिंहल जी ने भी अपने अनुभव के आधार पर सारी बातों को कहा है कि मन में यदि संकल्प हो तो कुछ भी कठिन नहीं है। निश्चित रूप से उनका विचार काफी महत्वपूर्ण था। वह तो यह कहना चाहते थे कि,

5.00 P.M.

संसार तो चुनौती के लिए है ही,  
 संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो,  
 चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो,  
 अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो,  
 विजयों के वार सारे वीर बन करके सहो,  
 भय, बाधाएं मुक्त हो जाएगी,  
 होगी सफलता अंत में,  
 फिर कीर्ति फैलेगी हमारी,  
 चहुं ओर दिग दिगंत में।

शायद इसी संभावना को वह व्यक्त करना चाहते थे।...(व्यवधान)... सरोज जी मैं जानता हूँ कि आपने काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और कल भी आपने इस प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था।

उपसभाध्यक्ष जी, जिंदगी के लिए रोजगार एक महत्वपूर्ण चीज है, इसका मैं एहसास करता हूँ और हम सभी लोग इसका एहसास करते हैं। मान्यवर रोजगार इसलिए जरूरी नहीं है कि यह हमारी जरूरतों को पूरा करता है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वह मनुष्य को स्वाभिमानी और आत्म-सम्मान बनाता है। मान्यवर देश के प्रत्येक नागरिक को स्वाभिमानी और आत्म-सम्मान होना चाहिए। इसके पीछे रोजगार की भावना है। मान्यवर, जिसके पास रोजगार नहीं होता उसकी दयनीयता, उसकी विवशता, उसकी परवशता निश्चित रूप से उसको परेशानी में डालती रहती है। मान्यवर, रोजगार जीने के लिए और सम्मान को लिए बहुत जरूरी है।

मान्यवर, श्यामलाल जी ने कहा कि श्रम में लज्जा नहीं होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो मेहनतकश लोग हैं, उनके प्रति समाज में सम्मान का भाव कम होता चला जा रहा है। श्रम को प्रतिष्ठा मिलनी ही चाहिए क्योंकि कोई भी कार्य असम्मानजनक नहीं है। प्रत्येक काम को सम्मानजनक रूप में देखा जाना चाहिए। मान्यवर, हमारे समाज में कुछ विकृतियाँ आती गयीं जिस कारण आज श्रम को उचित सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है जिस कारण उन कामों में लोग नहीं जाते जहाँ निश्चित रूप से रोजगार के अवसर उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। तो श्रम को सम्मान और प्रतिष्ठा जरूर प्राप्त होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश की आबादी आजादी के बाद 30 करोड़ से बढ़कर अब 100 करोड़ से ज्यादा हो गयी है और अब आबादी के अनुपात में रोजगार तलाशना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है।

श्री अविनी राय जी भी श्रम में अपना देखल करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार दिए जाएं। हम कोई भत्ते की मांग नहीं कर रहे हैं। महोदय, अगर रोजगार मिल जाता है तो भत्ता कोई नहीं चाहेंगा। रोजगार के अवसर जुटाए जाने चाहिए। मान्यवर, अगर आदमी को काम से निकाला जाए, उसकी छंटनी हो जाए या उसका रोजगार या कारोबार बंद हो जाए तो उसकी चिंता समाज को जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कारखाने एक सजिश के तहत बंद हो रहे हैं। अब किन परिस्थितियों में इन सरकारी कारखानों को बंद किया जा रहा है, इसे देश जानता नहीं यह बात नहीं है। यह आप भी जानते हैं और देश भी जानता है। आवश्यकतानुसार बड़े कारखानों को चलाने के जे उपाये करने चाहिए वह सरकार कर रही है।

उन सबके लिए जिस खर्च की आवश्यकता है , उस खर्च को जुटाना भी बहुत बड़ी बात होती है। मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास श्रम बल है और रोजगार की योजनाएं भी हैं अभी कुछ योजनाओं के बारे में लोगों ने कहा कि योजनाओं का नाम बदलने से कुछ नहीं होता । मान्यवर सरकार की योजनाएं जनता तक जाएं , बेरोजगारों तक जाएं ताकि उनके चेहरों पर रौनक और विश्वास की भावना जगे । इसीलिए इन योजनाओं का लाभ लेने की जरूरत है । मैं मानता हूँ कि इन सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनता में जागरूकता और उनमें सरलता पैदा करने की भी जरूरत है ताकि ज्यादा - से - ज्यादा लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके । मान्यवर , जवाहर ग्रामीण योजना को रूप में रोजगार आश्वासन योजना के रूप में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के रूप में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के रूप में और ग्रामीण स्वरोजगार योजना के रूप में हमने देश का हज़ारों करोड़ रुपया लगाया है जिस के कारण लाखों लोगों के लिए रोजगार का सुजन हुआ है। सरकार की कोशिश है कि रोजगार के अवसर बढ़ें, कारोबार के अवसर बढ़ें, तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण का काम हो और उसके कारण रोजगार में कौशल का उन्नयन हो सके और बेहतर रोजगार के माध्यम से नौजवान अपनी जीविका को सम्मानजनक बनाने की दृष्टि से , समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपाय कर सकें।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं मानता हूँ कि यह बहस बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन और आग्रह करना चाहूंगा कि आपके महत्वपूर्ण सुझावों पर किस रूप से काम किया जा सकता है इस पर विचार करने के लिए जो उपाय संभव हो सकते हैं उस के लिए सरकार कोई नीति बनाने का काम जरूर करेगी । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी बातों को देखते हुए माननीय सदस्य अपने इस विधेयक को वापिस ले और इस सारे काम में किन प्रकार से हम रोजगार के अवसर जुटा सकते हैं । उस दृष्टि से जो कुछ भी सरकार कर सकती है उसका उपाय करने के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ । धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Mr. Mukherjee, you have heard the reply. Now, you are ...*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, I would just like to make two points. I think, there has been, more or less, excepting a few voices, a unanimity on this issue. Many hon. Members have agreed, 'Yes. Unemployment is an issue.' This is number one. No one has denied this. And, I am grateful to all those who have spoken for and against this Bill. One of the major issues is unemployment and it is the concern of this House. Yesterday, a National Conference Member, while speaking on Kashmir, had mentioned, specifically, about the unemployment problem. There has also been no difference of opinion that, 'Yes. This is on the increase.' Employment opportunities are not being created to cater to the needs of unemployed people. And, as a result, the unemployment problem is on the increase. There has been no difference of opinion on these two major issues. What Mr. Nariman said was that the right to work was enshrined in our Constitution itself, whether it is under the Directive

[10 August, 2001]

RAJYA SABHA

Principles or under the Fundamental Rights. I am sure, none in this House would deny that the fundamental right of everyone is to have the right to work. The problem is that the issue, which has been raised, is a good one, but those who are opposing the Bill are worried about the resources. They are asking 'Where from the resources will come?' I can tell the hon. Minister that when I raised the issue of tax evaders, I did not mean, कि चार हजार पांच हज़ाह , आठ हजार या दस हजार , उसी पैसे से अनएम्प्लॉयमेंट ऐलाउंस दिया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट ऐलाउंस का मेन प्वाइंट Dr. Das was telling about the British system. It is a pressure on the Government, whosoever is governing, that I have to reduce this. हम लोग यहां भी जाते हैं चाहे हमारे साथ सिंहल साहब का डिफरेंस आफ ओपीनियन है , चाहे मैं एम.पी. हूं चाहे वह इंजीनियर था पुलिस अफसर थे या कोई भी है We must say that we are on the same pedestal आदमी के सम्मान की भावना पुरुषार्थ की भावना सबमें एक है ऐसा नहीं है कि मैं इतनी बड़ी पुरुषार्थ की भावना लेकर आता हूं दूसरा भीख मांगने के लिए आता है । परिस्थिति किसी को भीख मांगने के लिए मजबूर करती है और परिस्थिति किसी को प्रोत्साहित करनी है कि वह आई.पी.एस. अपसर हो जाए और सिंहल साहब की तरह एम.पी. बन जाए। इस प्रोत्साहन को पीछे एक भूमिका हमारी सबकी है उस के बारे में हम कह रहे थे । हम कह रहे थे कि पैसा कहां से आए, we have to have the will. I can say straightaway. In a class society, justice will also be a 'class justice.' Why justice should be a 'class justice?' Sir, I just give two examples and finish my speech, पैसा नहीं है , रिसोर्स कम है यह सब मानते हैं -आप लोग मानते हैं हम मानते हैं । रिसोर्स कम है तो सरकार को खर्च कम करने पड़ेंगे। वालेंट्री रिटायरमेंट स्कीम में तीन लाख हम लोग युनियन वाले हैं , हम लोग बोलेंगे ,आप सुनेंगे । लेकिन इसके बवाजूद भी कल रामदास अग्रवाल जी का क्वेश्चन था राज्य सभा में किसी ने देखा या नहीं किसी पेपर वाले ने देखा , यह नहीं मालूम। दो मंत्री बैठे हैं रिसोर्सिस कम हैं । We are telling the people, "Tighten your belts. Voluntary Retirement Scheme is coming" 12,000 करोड़ रुपया वालेंट्री रिटायरमेंट स्कीम में हम दे रहे हैं । I We are giving them this, without creating any real productive asset, पर हम लोग सब जगह बोल रहे हैं कि रिडक्शन हो पब्लिक सेक्टर में और गवर्नमेंट का कंट्रोल न हो , गवर्नमेंट का कंट्रोल पिछ्यूस हो रहा है। What are the figures with regard to bureaucrats? सिंहल साहब ने अगर देखा नहीं तो मैं उन्हें पढ़कर सुनाता हूं ।

I This is the reply of yesterday. It is as on 01-01-1998; the number of Secretaries was 117 and, today, it is 141; the number of Additional Secretaries was 99, and, within a span of three years, it has gone up to 107; the number of Joint Secretaries was 389 and, in three years, it has gone up to 511; the Directors were 453 and, within a period of three years, we need 628 Directors; the number of Deputy Secretaries were 395 and, within a span of three years, we require 578 Deputy Secretaries; and, the number of Under Secretaries were 555, and, in three years, the number has gone up to 1,363. मैंने एक केलकुलेशन किया है छोटा सा ।...(व्यवधान)...



SHRI B. P. SINGHAL: This Government has increased the employment.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Yes. But, why do we require more Secretaries? I have calculated. मैंने एक छोटा सा केलकुलेशन किया है कि 500 रुपए किसी को बेकारी भत्ता देने की जरूरत क्यों पड़ती है। मैं जाकर दिखा सकता हूँ कि आपके सेक्रेटरी कहां क्या काम कर रहे हैं। How much money have you saved? Can this Government justify? Because it requires a lot of will. You cannot reduce the number of Secretaries; you cannot reduce the Joint Secretaries, because your fundamentals are different. You have more number of Ministers - 71 Ministers. Have you reduced it by five? With the Government control, it has to be reduced. I don't want to go into those details. हमें ज्यादा रिसोर्सिज चाहिए। जो लिस्ट मैंने दी है, it was just an example. Then, Rs. 23,000 crores have to be recovered from 100 tax defaulters. इतने बड़े-बड़े ऐसे-ऐसे लोग हैं जो लोगों को पकड़ सकते हैं, They can get the justice done within no time. The Government has identified 100 tax defaulters, and Rs. 23,000 crores have to be recovered from them. It is difficult to recover this amount, the dues on customs, excise and all that. I am not talking of the income-tax defaulters only. I am also not talking about the loan defaulters - Rs.60,000 crores. मैं वह सब बात नहीं कह रहा हूँ। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिसोर्सिज नहीं है यह बात नहीं है। यह बात नहीं है। रिसोर्सिज हैं लेकिन कौन कहां इस्तेमाल कर रहा है? जिसके पास हैं, वह और ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहा हैं। What did Mr. Virumbi say? I do not know whether you had noted it down or not. I will read out what he had said. He did not oppose that Bill. He said 'what I am saying is, as a symbolic gesture, we should accept it. कभी-कभी इन लोगों की बात भी सुन लिया कीजिए। रेड्डी साहब तो अभी यहां हैं नहीं, 'as a symbolic gesture, we should accept it.' I had given some ideas, and he had also given some ideas, as to how Rs.4,000 crores can be saved. When the Tobacco Bill was being considered, he had given some ideas. He had also asked 'why not we have an all-party meeting on such an important issue?' जीवन राय की जो व्यवस्था थी जो इतना हल्ला मचा रहे थे आज और कल, Out of the total working hours, how many hours we really spent to discuss about the labour issue or the unemployment issue. जटिया साहब को मालूम है, he knows, can there not be a symbolic gesture? एक रुपया दे दीजिए जैसा जीवन साय ने कहा था, you need not give Rs. 500 यह भीख की बात नहीं है, Can't you recognise this fact? You are talking about globalisation. सब कुछ ग्लोबलाइजेशन में करेंगे ये इंग्लैंड की बात करेंगे, इंग्लैंड की सोशल सिक्योरिटी की बात करेंगे, अमरिका की सोशल सिक्योरिटी की बात करेंगे, और हम उसको इंडियनाइज कर लेंगे तो हमें कहेंगे कि भीख मांग रहे हो। ग्लोबलाइजेशन करने में भीख नहीं मांग रहे हैं

हम? जब हन फॉरेन इन्वेस्टमेंट मांगते हैं तो वह भीख मांगना नहीं होता और बेकार आदमी जिस के पास रोजगार नहीं है वह अगर काम चाहता है, वह अगर मांगता है

तो आप कहते हैं कि भीख मांगता है, यह मिश्रावृत्ति हिंदुस्तान के लिए अच्छी नहीं है। would suggest to the Government; why don't you accept it as a symbolic gesture, that this House recognises that every able person has the right to work? Why don't you accept this Bill in that symbolic gesture, recognising the right to work as a fundamental right? If that is done रोजगार दिलाइए, तब भत्ते की बात कोई नहीं करेगा। Why don't we have 'right to work' as a fundamental right? You can have a discussion with the State Governments as well as with all parties as to in what way we can have some means of ensuring social security to those who are unemployed, to those who have lost their employment and to those who are going to lose their employment. If that assurance is given, I think, that will serve not only my purpose but also of those Members who have spoken in support of this Bill, from this side and that side. I request the hon. Labour Minister to consider these points.

**डा. सत्यानारायण जटिया :** महोदय, निश्चित रूप से जिस तरह से यह बहस हुई है और माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, वे बहुमूल्य हैं। सभी जानते हैं कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से इस काम को किया जा सकता है, इस दिशा में विचार करने के लिए आपने सूत्र दिए हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर सरकार इस संबंध में विचार करेगी और जो भी उपाय किए जा सकते हैं, वे उपाय करेगी। आप की परिस्थितों में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने जो सुझाव दिए हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इन सारी बातों को देखते हुए मैं आपसे फिर से अनुरोध कर सकता हूँ कि मेहरबानी करके कृपया आप इसे वापिस ले लें। आपकी बातों पर पूरा ध्यान दिया गया, यही इस अवसर पर कहना उपयुक्त हो गा। धन्यवाद।

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU):** Mr. Mukherjee, you have heard what the hon. Minister has said. Now, the question is : Are you withdrawing the Bill or should I put the motion to vote?

**SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:** No, Sir. If he gives an assurance to the House, as a symbolic gesture, that the 'Right to Work' will be looked into by the Government, I will withdraw the Bill.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU):** He will definitely take the initiatives. ...*(Interruptions)*... We have to see how this idea can be translated into action.

**डा. सत्यानारायण जटिया :** मैं इस भावना से सहमत होते हुए और आपने जो कुछ बात कही है इन सारी बातों को महत्व दिया जाए और किस तरह से यह किया जाए और रोजगार के ज्यादा अवसर बढ़ाए जाए, यह बातें देखते हुए और चूंकि...(व्यवधान)...

**श्री दीपंकर मुखर्जी:** और काम के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए ...(व्यवधान)...

**डा. सत्यानारायण जटिया :** हमने कहा है कि श्रम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, रोजगार के अवसर होने चाहिए ...(व्यवधान).... रोजगार मुहैया करने के सारे उपाय करने की द्रष्टि से क्या

हो सकता है। इसके बाद मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इसे वापिस ले लें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU) : So, are you withdrawing the Bill?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Yes, Sir. I am withdrawing the Bill.

*The Bill was, by leave, withdrawn.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Now, we have time up to 5.30 p.m. So, Shri Lalitbhai Mehta can move his Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court of Gujarat at Rajkot.

**THE HIGH COURT OF GUJARAT (ESTABLISHMENT OF A  
PERMANENT BENCH AT RAJKOT) BILL, 2000**

हो सकता है। इसके बाद मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इसे वापिस ले लें।

**श्री ललितभाई मेहता (गुजरात)** : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"राजकोट में गुजरात उच्च न्यायालय की स्थाई न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, गुजरात उच्च न्यायालय की एक पीठ राजकोट में बने इसके लिए मैं जो बिल सदन में लाया हूँ उसके बारे में थोड़े तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगी। हमारे संविधान के मार्गनिर्देशक सिद्धांतों में धारा -39ए बताया गया है कि देश के हर नागरिक को अच्छी तरह से न्याय मिल सके उसका एक्सेस होना चाहिए। हमारे संविधान की धारा-32 जो मूलभूत अधिकारों की बात करती है, संविधान की धारा-226 जो मूलभूत अधिकारों के सिवाय और अन्य अधिकारों की बात करती है। उच्च न्यायालय के अधीन जितने भी उस प्रदेश के न्यायालय होते हैं वहीं से कोई मामला उठता है। अपील में जाने के लिए और न्याय मिलने के लिए उच्च न्यायालय हमारा एक महत्वपूर्ण साधन है

"When there is no effective remedy available to a person in equity, it can move the High Court in an appropriate writ." और इस द्रष्टि से हम सोचेंगे चो उच्च न्यायालय का बहुत महत्व है। हमारे देश में जितने भी उच्च न्यायालय काम करते हैं उसको तो ध्यान में रखेंगे। तो परिस्थिति क्या है इसका आकलन करना होगा कि सभी को अच्छी तरह से न्याय मिल सके।

[उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी):पीठासीन हुए ]

उपसभाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी ने सन् 1948 में जब न्याय नहीं मिलता रहा तो उसके लिए जो आब्रजवेशन किया था उसको मैं कोट करना चाहूँगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था,

"Law has become the luxury of the rich and joy of the gambler." ठीक ऐसी परिस्थिति पूरे 52 वर्ष पहले थी। आज 52 वर्ष के बाद परिस्थिति बिगड़ चुकी है। हमारे देश में 18 उच्च न्यायालय काम करते हैं, उन 18 उच्च न्यायालयों कि 14 बैचेज उस-उस क्षेत्र में, उस-उस राज्य में काम करती है, लेकिन परिस्थिति यह है कि 1991 में इन सभी न्यायालयों में